

इसे वेबसाईट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2017—वैशाख 1, शक 1939

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. ई-5-609-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर के पद पर छुनः पदस्थ किया जाता है।

(2) श्रीमती स्मिता भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे, आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर के पद पर छुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-731-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस., पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 3 से 13 अप्रैल 2017 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 अप्रैल एवं 14, 15, 16 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री शिवशेखर शुक्ला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-864-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विशेष गढ़पाले, आयएएस., कलेक्टर, जिला कट्टनी को दिनांक 21 से 27 जुलाई 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ को दिनांक 6 से 13 अप्रैल 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 अप्रैल 2017 एवं 14, 15, 16 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2017

क्र. ई-5-1023-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री रितुराज, आयएएस., सहायक कलेक्टर, रत्लाम को दिनांक 23 जनवरी से 9 फरवरी 2017 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11, 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवाकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री रितुराज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रितुराज, भाप्रसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2017

क्र. ई-1-94-2017-5-एक.—श्री एम. बी. ओझा, भाप्रसे (2001), आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कमिशनर, उज्जैन संभाग, उज्जैन पदस्थ किया जाता है।

(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावशील होगा।

क्र. ई-1-95-2017-5-एक.—श्री संतोष कुमार मिश्रा, भाप्रसे (1999), आयुक्त पंचायती राज को स्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री संतोष कुमार मिश्रा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में

सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-5-814-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण भोपाल तथा विकअ-सह-संचालक, विमुक्त-घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण को दिनांक 25 से 30 मार्च 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण भोपाल तथा विकअ-सह-संचालक, विमुक्त-घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-916-आयएएस-लीब-5-1.—(1) श्रीमती रुचिका चौहान, आयएएस, अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 17 से 28 अप्रैल 2017 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रुचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रुचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रुचिका चौहान अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-989-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री आशीष सक्सेना, आयएएस, कलेक्टर, जिला झाबुआ को समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2017 द्वारा दिनांक 6 से 10 मार्च 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 11 से 17 मार्च 2017 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2017 की शेष कंडिकाएं यतावत्,

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. ई-1-97-2017-5-एक.—श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे, (1989), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, उच्च शिक्षा मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-98-2017-5-एक.—श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे (1995), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा विमुक्त-घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा वि.क.अ.-सह-संचालक, विमुक्त-घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2017

क्र. ई-1-101-2017-5-एक.—डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994), आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-101-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से 'पदस्थ' किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री इलैया राजा टी. (2009) कलेक्टर, भिण्ड।	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन।
2	श्री वी. किरण गोपाल (2008) मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) भोपाल।	कलेक्टर, भिण्ड

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2017

क्र. ई.-5-684-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 11 से 25 मई 2017 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अमित राठौर, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे, आयुक्त कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अमित राठौर, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-863-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे (2010) संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास को दिनांक 22 से 31 मार्च 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे की अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री नागेन्द्र मिश्रा, भाप्रसे, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे द्वारा संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागेन्द्र मिश्रा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. एफ 5-1-2015-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री आलोक वर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 21 जनवरी 2017 से 25 जनवरी 2017 तक	05 पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित	अवकाश	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित।

क्र. एफ 5-11-2013-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवाशर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री सुभाष काकड़े, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 16 जनवरी 2017	01 पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित	अवकाश	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित।

क्र. एफ 5-12-2014-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री सुशील कुमार पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश	कुल	अवकाश का अभियुक्त	
	अवधि	दिन	प्रकार	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 30 जनवरी 2017 से दिनांक 31 जनवरी 2017 तक.	02	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2017

क्र. एफ 5-1-2016-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री जे. के. जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश	कुल	अवकाश का अभियुक्त	
	अवधि	दिन	प्रकार	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 19 दिसम्बर 2016 से 22 दिसम्बर 2016 तक.	04	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के पूर्व दिनांक 17 दिसम्बर 2016 से दिनांक 18 दिसम्बर 2016 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 दिसम्बर 2016 से 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक/शीतकालीन अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.	अवकाश के पूर्व दिनांक 17 दिसम्बर 2016 से दिनांक 18 दिसम्बर 2016 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 दिसम्बर 2016 से 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक/शीतकालीन अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2017

क्र 3-01-2017-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प.ब.-एक तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परकाम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2017 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तरम् (1) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तरम् (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा।

(2) क्रमांक एफ 3-01-2017-एक-4.—राज्य शासन एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2017 के लिए मतदान के दिन दिनांक 9 अप्रैल 2017 (रविवार) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:—

### अनुसूची

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	मतदान की तारीख
(1) जिला भिण्ड के 09-अटेर एवं जिला उमरिया के 89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.)	(2) 09 अप्रैल 2017 (रविवार)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2017

क्र. ई-5-832-आयएएस-लीव-5-एक.—इस विभाग के समसंबद्धक आदेश दिनांक 28 मार्च, 2017 के पैरा-6 के पश्चात् अंकित “मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बंसत कुमार सिंह मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन” के स्थान पर “मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बंसत प्रताप सिंह मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन” पढ़ा जाए।

फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2017

पंजी क्र. 1160-2017-इकीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर का त्यागपत्र दिनांक 28 फरवरी 2017 अपराह्न से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

फा. क्र. 3(ए)6-2014-इकीस-ब (एक)-1056-2017.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को उनके द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2017 को प्रस्तुत सूचना-पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए), सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42(1) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिये अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 मार्च 2017 को अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है।

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2017

फा. क्र. 17(ई)51-2005-इकीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 5-4/2013/29-2, दिनांक 23 मार्च 2017 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है:—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./ एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, होशंगाबाद.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी.

(1)	(2)	(3)
2	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता चतुर्थ अपर न्यायाधीश, फोरम, जबलपुर क्रमांक-2. जबलपुर.	
3	श्री ब्रह्मा शंकर दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश, जतारा, जिला टीकमगढ़.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी.
4	श्री श्याम बिहारी वर्मा, दशम अपर न्यायाधीश, उज्जैन.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर.
5	श्री योगेश दत्त (शुक्ला), प्रथम अपर न्यायाधीश, छतरपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा.
6	श्री महेश कुमार शर्मा, सप्तम अपर न्यायाधीश, सागर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इन्दौर क्रमांक-2.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए.एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

## श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2017

क्र. एफ 4 (ई)1-2016-ए-16.—राज्य शासन, एतद्वारा, कारखाना अधिनियम (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1) एवं 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना, 2016 के अधीन मध्यम श्रेणी के 10 से 20 श्रमिक नियोजित करने वाले गैर जोखिम पूर्ण कारखानों के लिये अन्य पक्ष प्रमाणन को मान्यता प्रदान करने हेतु अधिसूचित करता है।

ऐसे कारखाने यदि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, डीजीफासली (DGFASLI) के द्वारा इस हेतु अधिकृत अन्य पक्ष (Third Party) के कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुपालन का अंकेक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रक्रिया से छूट मिल जायेगी। ऐसे कारखानों का निरीक्षण केवल गंभीर शिकायत या सूचना के आधार पर श्रमायुक्त की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। जो कारखाने प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय-सीमा 15 जनवरी तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करेंगे वे ऐसी छूट का लाभ लेने से वंचित रह जायेंगे।

No. F 4 (E) 1-2016-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), the State Government, hereby, notify to recognise the Third Party Certification for medium scale nonhazardous factories employing 10 to 20 Workers as per the Business Reform Action Plan, 2016 denotes under the Industrial Policy, and Promotion, Ministry of Commerce and Industries, Government of India.

Such factories which submits the audit report carried out by a Third Party authorised by the Government of India, Ministry of Labour and Employment, DGFASLI regarding compliances of Factory Act 1948 (No. 63 of 1948) to the Inspector having jurisdiction, before 15th January of every year, shall be exempted from routine inspection process. Inspection of such factories shall only be carried out with the prior permission of Labour Commissioner on the basis of serious complaints or information thereto. The factories that fail to submit their annual returns before the prescribed deadline of 15th January of every year shall not be entitled for such exemption.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मिलिन्ड गणवीर, अवर सचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 4 फरवरी 2017

क्र. 207-भू-अर्जन-17.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु मण्डलावदा रोक बांध कम पुलिया निर्माण के लिये आवश्यक हैः—

#### अनुसूची

ग्राम का नाम—कुमारिया, तहसील—देवास, जिला—देवास, कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	भूमि सर्वे नंबर	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकमा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्री मुरारीलाल, शिवजीराम पिता रामचन्द्र, गंगाबाई, सुमनबाई पिता रामचन्द्र खाती.	533	0.013
2	कृषि भूमि	श्री जगन्नाथ पिता सावंत खाती	534	0.012
3	कृषि भूमि	श्री राधेश्याम, मोहनलाल, धनश्याम पिता नारायण	535	0.010
4	कृषि भूमि	श्री कमल पिता रामप्रसाद खाती	546/1	0.063

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. एफ 3-100-बत्तीस-2010.—राज्य शासन एतद्वारा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित को मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करता हैः—

1. श्री ए. डी. कपाले — सदस्य  
प्रमुख अभियंता,  
म. प्र. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,  
भोपाल.

(2) सदस्य का कार्यकाल रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा-23 (1) में विहित अवधि के लिये होगा। सदस्य को पुनर्नियुक्त की पात्रता नहीं होगी।

(3) सदस्य को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलक्ष्यां तथा सेवा शर्तें, म. प्र. रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2016 के नियम 20 के उपनियम-1 के अनुसार संदाय किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के साधव, उपसचिव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	कृषि भूमि	श्री लीलाधर पिता हजारीलाल	548/1	0.011
6	कृषि भूमि	श्री चतुर्भुज पिता हजारीलाल	548/2	0.012
7	कृषि भूमि	श्री मानसिंह पिता हजारीलाल	548/3	0.013
8	कृषि भूमि	श्री घनश्याम, अर्जुन पिता बाबूलाल सोद्राबाई बेवा बाबूलाल.	549	0.020
9	कृषि भूमि	श्री सुभाष मोहन पिता, मोतीराम आनन्दीबाई बेवा मोतीराम खटिया.	550	0.021
10	कृषि भूमि	श्रीमती कुताबाई बेवा उमराव खाती	525	0.021
11	कृषि भूमि	श्री राजेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण खाती	554	0.040

कुल सर्वे नम्बर 11—कुल प्रस्ताव 01

उपरोक्त कृषकों की भूमि मण्डलावदा रोक बांध कम पुलिया निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवास के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्र. अ-82-2015-16.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति हेतु प्रसारित अनुदेश क्रमांक एफ 12-2-2014/सात/2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुक्रम में कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासोदा द्वारा संजय सागर परियोजना में पूरक भूमि के अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का जल संसाधन मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय करने हेतु प्रकरण विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैरसिया अथवा अनुविभागीय अधिकारी, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासोदा के कार्यालयों में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति मात्य नहीं होगी एवं नीचे वर्णित अनुसूची में दर्शित भूमि एवं परिसम्पत्ति के जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय करने हेतु आगामी कार्रवाई निष्पादित की जावेगी।

#### अनुसूची

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील व जिला का नाम	भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/ धारक)	खसरा नम्बर	क्रय के लिये प्रस्तावित रकमा	क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्ति	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	मूडलाचट्टान	तहलील बैरसिया जिला भोपाल.	हाकमसिंह आ. बदनसिंह जाति देशवाली	34/4/क/2/1	0.305 हे.	पीपल वृक्ष-5 नलकूप-02	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—

- संजय सागर परियोजना (संजय सागर बांध में ढूब में आयी अतिरिक्त भूमि)
- भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
**सागर, दिनांक 7 अप्रैल 2017**

क्र. 26-अ-82-16-17-3970.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक SIA/MP/FIV/5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परन्तुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावजूद, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 30 ग्रामों की लगभग 9950 है। भूमि सिंचित होना एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

(1) परियोजना का नाम—

सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण—

(1) जिला—	सागर
(2) तहसील—	बण्डा
(3) ग्राम—	बम्हौरी खुर्द
(4) पट. ह. नं.—	71
(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	21.41 हेक्टर.

**अनुसूची-1**

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टेर में)	अर्जित भूमि रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नरेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1161/1	0.20	0.05	
2	अच्छेलाल पि. लाड़ले रामदास पिता अच्छेलाल विश्वकर्मा साकिन सासा.	भूमिस्वामी	1161/2	0.32	0.16	
3	लीलाधर पिता अमरत साकिन देह	भूमिस्वामी	1162/5	0.11	0.11	
4	महरानी पति पंचू काढी सा. सासा	भूमिस्वामी	1161/3	0.05	0.05	
5	रामपाल पि. रज्जन घोषी सा. सासा	भूमिस्वामी	1162/3	0.32	0.16	
6	संगवीर पिता हल्कू साकिन देह	भूमिस्वामी	1162/6	0.11	0.11	
7	लीलाधर पिता अमरत रामप्रसाद पिता अच्छेलाल विश्वकर्मा साकिन देह.	भूमिस्वामी	1161/4	0.20	0.08	
8	रामअवतार वर्ल्ड देवी सिंह घोषी साकिन देह	भूमिस्वामी	1162/1	0.06	0.03	
		भूमिस्वामी	1162/2	0.06	0.03	
		भूमिस्वामी	1162/4	0.13	0.10	
		भूमिस्वामी	1271/2	0.13	0.06	
		भूमिस्वामी	1272/3	0.27	0.27	
		भूमिस्वामी	1278/4	1.25	1.25	
		भूमिस्वामी	1282/4	1.03	1.03	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	प्रहलादसिंह व. मूरतसिंह सा. सासा.	भूमिस्वामी	1272/1	0.58	0.58	
		भूमिस्वामी	1278/1	0.37	0.37	
		भूमिस्वामी	1279	0.22	0.22	
		भूमिस्वामी	1280	0.42	0.42	
		भूमिस्वामी	1282/1	0.51	0.51	
		भूमिस्वामी	1271/1	0.24	0.12	
10	रामकृपाल वल्द देवी सिंह घोषी साकिन देह	भूमिस्वामी	1272/2	0.30	0.30	
		भूमिस्वामी	1273	0.11	0.11	
		भूमिस्वामी	1278/3	1.25	1.25	
		भूमिस्वामी	1282/3	1.03	1.03	
11	राजकुमार वल्द बाबूलाल साकिन सासा	भूमिस्वामी	1274	1.39	1.39	
		भूमिस्वामी	1275	0.65	0.65	
12	हीरा सींग कल्यान सींग पिता मुना सींग मिट्ठु सींग पिता कन्छेदी बड़ी बहू बेवा कन्छेदी दयाबाई शीलाबाई पुत्रियां कन्छेदी साकिन देह.	भूमिस्वामी	1276/1	0.12	0.12	
		भूमिस्वामी	1277/1	1.40	1.40	
13	मुना सींग वल्द कन्छेदी साकिन सासा	भूमिस्वामी	1277/2	0.25	0.25	
14	घनश्याम वल्द प्रहलाद सिंह सा. सासा	भूमिस्वामी	1278/2	1.52	1.52	
15	लोकपाल वल्द प्रहलाद सिंह सा. सासा	भूमिस्वामी	1282/2	1.52	1.52	
16	गजरा बाई कस्तूरी बाई पुत्रियां जीवन सींग साकिन सेमरा दयाराम तुलसीराम पिता शंकर साकिन देह.	भूमिस्वामी	1201/1	0.25	0.25	
17	दयाराम पिता शंकर साकिन खुर्द	भूमिस्वामी	1202	0.82	0.82	
		भूमिस्वामी	1205	0.18	0.18	
18	रगवीर वल्द भागीरथ सा. झूडा रामदीन वल्द वृजेन्द्रभानसींग साकिन सासा.	भूमिस्वामी	1203	0.10	0.10	
		भूमिस्वामी	1204	0.47	0.47	
		भूमिस्वामी	1209	1.39	0.39	
		भूमिस्वामी	1210	1.30	1.30	
19	रामदीप पि. वृजेन्द्रभानसींग सा.सासा रामचरन अमोल बलवंत हिल्ले पि. फिरतू सा. खुर्द रगवीर पि. भागीरथ सा. झूडा.	भूमिस्वामी	1208	0.15	0.15	
		भूमिस्वामी	1207	1.10	1.10	
20	विजेन्द्रभानसींग पि. जगत सिंह घोषी	भूमिस्वामी	1242/1	0.40	0.30	
21	रज्जनसिंह वल्द बाबू सिंह घोषी साकिन सासा	भूमिस्वामी	1242/2	0.55	0.55	
22	जस्यू वल्द बनखेड़ी चढ़ार साकिन देह	भूमिस्वामी	1247/1	0.02	0.02	
23	रामचरन वल्द श्यामले विश्वकर्मा सा. सासा	भूमिस्वामी	1247/2	0.23	0.08	
24	दयाराम, तुलसीराम पिसरान शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	1201/2	0.32	0.32	
25	नाथूराम पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1217	1.28	0.05	
26	आजादरानी पल्ली रज्जनसिंग सा. सासा	भूमिस्वामी	1242/3	0.48	0.08	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2104 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सुजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साढ़ा) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 27-अ-82-16-17-3970.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता यड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक SIA/MP/FIV/5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परन्तुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 30 ग्रामों की लगभग 9950 है। भूमि सिंचित होना एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

(1) परियोजना का नाम—

सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण—

- |            |         |
|------------|---------|
| (1) जिला—  | सागर    |
| (2) तहसील— | बण्डा   |
| (3) ग्राम— | मझगुवां |

- (4) पट. ह. न.— 79  
 (5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 8.31 हैक्टर.

## अनुसूची-1

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल (हेक्टेर में)	अर्जित भूमि रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	विशाल सिंह पिता मजबूत सिंह निवासी ग्राम तिस्सी तहसील रहली.	भूमिस्वामी	619	0.45	0.45	
2	जगत सोंग बल्द मंगल सोंग साकिन देह	भूमिस्वामी	622	1.02	1.02	
3	राजकुमार पिता इमरत घोषी साकिन सासा	भूमिस्वामी	623	0.04	0.04	
4	प्रकाश प्रमोद बलबीर जाहर पिसरान विश्वनाथ रति पुत्री विश्वनाथ सुरेन्द्र उदय तितेन्द्र पिसरान शंभू गुड़ा धर्मेन्द्र पिसरान राजेन्द्र साकिन सासा भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	624	0.03	0.03	
5	राजरानी जोजे देव सोंग साकिन देह	भूमिस्वामी	625	0.04	0.04	
6	हिम्मत दयाराम गुपाल पिसरान दरबारी कुसुम गोमती पुत्रिया दरबारी पता सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	626	0.09	0.09	
7	दुर्गाबाई बेवा प्रभु जनकाबाई बेवा प्रभु सूरत सोंग बल्द गुलाप सा. सासा.	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	627 637	0.06 0.28	0.06 0.28	
8	भागीरथ बल्द चित्तर साकिन सासा	भूमिस्वामी	628	0.04	0.04	
9	जगत सोंग बल्द मंगल सोंग साकिन देह	भूमिस्वामी	642	0.11	0.11	
10	भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	630	0.06	0.06	
11	एहभानसोंग बल्द नत्थू सोंग, सिंगार बहू बेवा नत्थूसोंग, यशवंत सोंग बल्द ग्या प्रसाद लोधी साकिन देह.	भूमिस्वामी	631	0.12	0.12	
12	मीराबी मायाबाई पुत्रियां माधोसोंग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	633	0.53	0.53	
13	लक्ष्मन सोंग बल्द धनसोंग	भूमिस्वामी	635	0.26	0.26	
14	कंछेदी पि. सूरतसोंग रजन पिता बाबूलाल सदारानी बेवा सूरतसोंग पता सा. सासा भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	636	0.15	0.15	
15	तेज सोंग पि. फूल सोंग जाति घोषी साकिन सासा बिजेन्द्र बित्तू हल्के पिसरान तेज सोंग घोषी सा. सासा	भूमिस्वामी	639	0.08	0.08	
		भूमिस्वामी	646	1.18	0.47	
		भूमिस्वामी	646/812	1.18	1.18	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	धरमदास वल्द श्यामले साकिन सासा	भूमिस्वामी	657/3	0.36	0.16	
17	प्यारेलाल पि. श्यामले अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	653	0.09	0.09	
18	रामरानी जोजे प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	651/6	0.23	0.23	
		भूमिस्वामी	657/2	0.78	0.78	
19	बिट्ठू सींग पि. फूल सींग घोषी सा. सासा	भूमिस्वामी	654	0.57	0.57	
20	टीकाराम ग्याप्रसाद पिस. मोहनलाल सुनील यशवंत पिसरान नन्हेलाल कुसुमरानी बेवा नन्हेलाल रजनी पुत्री नन्हेलाल अहिरवार सा. रजाखेड़ी.	भूमिस्वामी	657/1	1.15	1.15	
21	भोपत सींग वल्द शंकर लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	658	0.24	0.12	
22	खिलान बोरे अनंदी अर्जुन पिसरान परसादी तिली पावंती नन्नीविन्ना जगरानी पुत्रियां परसादी सा. सासा.	भूमिस्वामी	645	0.62	0.20	
योग . .			26	किता	9.76	8.31

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2104 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशनुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साढ़े) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 28-अ-82-16-17-3971.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक SIA/MP/FIV/5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परन्तुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 30 ग्रामों की लगभग 9950 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

(1) परियोजना का नाम—

सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण—

(1) जिला—	सागर
(2) तहसील—	बण्डा
(3) ग्राम—	खुर्द
(4) पट. ह. नं.—	69
(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	44.96 हैक्टर.

### अनुसूची-1

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ननू जमना पिसरान खुमान सा. गौराखुर्द	भूमिस्वामी	138/2 139 141/1 141/2 142	0.03 0.57 0.09 0.09 0.47	0.03 0.57 0.09 0.09 0.47	
2	उमेदी वेवा भुजबल शोभाराम भगवानदास अरविन्द रामू पिस. भुजबल.	भूमिस्वामी	138/1	0.60	0.60	
3	मोती नंदराम पुनु विश्राम पि. काशीराम उमेदी वेवा भुजबल शोभाराम भगवानदास अरविन्द रामू पिस. भुजबल ननू जमना पिस. बिहारी.	भूमिस्वामी	141/3	0.01	0.01	
4	सोनू केशवेन्द्र पिस. अमरसींग सुखवती वेवा अमरसींग सा. गोरा खुर्द.	भूमिस्वामी	137/1	0.98	0.98	
5	जितेन्द्र भूपेन्द्र पिस. शिशुपाल सविता वेवा शिशुपाल साकिन खुर्द.	भूमिस्वामी	137/2	0.99	0.99	
6	मोती नंदराम पुनु विश्राम पिता काशीराम साकिन देह बसंत सिंह वल्द हम्मीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	140	1.07	1.07	
7	लच्छी सुंदर साहब ईश्वर सलकू पि. हीरालाल साकिन देह.	भूमिस्वामी	143	1.74	1.74	
8	देव जानकी रमण जी मंदिर मौजा देह मुह. श्री राम बालकदास गुरु श्री अर्जुनदास प्रबंधक कलेक्टर महो. सागर भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	145	0.01	0.01	
9	देव जानकी रमण जी मंदिर मौजा देह मुह. श्री राम बालकदास गुरु श्री अर्जुनदास प्रबंधक कलेक्टर महो. सागर भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	147 229 231	25.38 1.07 10.25	15.10 0.50 10.25	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			239	0.15	0.15	
			235	0.20	0.20	
			242	1.14	1.14	
			243	1.45	1.45	
			208	0.04	0.04	
			237	0.17	0.17	
			134	0.04	0.04	
			130	0.25	0.06	
10	धनीराम वल्द चुनीलाल सा. बम्हौरीखुर्द	सेवा खातेदार	219	1.34	0.04	
11	लटोरी पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	222/1	0.07	0.03	
12	दयाराम तुलसीराम पि. शंकर	भूमिस्वामी	222/2	0.90	0.20	
13	शिवरानी जोजे परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	225	0.22	0.22	
14	हरीराम कोमल पिसरान मुलाम हल्ली बेवा मुलाम छोटेलाल नंदराम पिता बारेलाल केशर पुत्री बारेलाल पिस. मुलाम.	भूमिस्वामी	223	0.11	0.11	
15	मोहन वल्द मुल्ले सा. गोरा खुर्द सेवा खातेदार	भूमिस्वामी	240/2	0.88	0.88	
		सेवा खातेदार	232	0.09	0.09	
16	पुरुषोत्तम पि. कलू साकिन देह	सेवा खातेदार	234	0.32	0.32	
			236	0.08	0.08	
			238	2.69	2.69	
17	दयाराम पिता शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	240/1	0.49	0.49	
			241	0.17	0.17	
18	सोवत वल्द गनेश सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	245	0.02	0.02	
19	रामकुमार पि. बड़ी प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	246	0.02	0.02	
20	बीर सींग विजय सींग पि. सूरत सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	206/1	1.16	0.40	
21	राजकुमारी पति रल्ली अहिरवार पता पथरिया हाट सागर.	भूमिस्वामी	136	0.58	0.58	
22	रल्ली पिता हरीराम अहिरवार निवासी पथरिया हाट सागर.	भूमिस्वामी	131	0.38	0.08	
23	उदय सिंह वल्द राम सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	132/1	0.76	0.76	
24	अजमेर सिंह वल्द गनेश सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	132/3	0.40	0.15	
25	सीतार्बा पति शंकर काढी साकिन देह	भूमिस्वामी	133	1.66	1.66	
		भूमिस्वामी	206/2	1.16	0.20	
			132/6	0.02	0.02	
	योग		45	किता	60.31	44.96

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हाट मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कोर्स तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हाट मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशनुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में ] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 29-अ-82-16-17-3969.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक SIA/MP/FIV/5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परन्तुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से 30 ग्रामों की लगभग 9950 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

(1) परियोजना का नाम—

सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण—

(1)	जिला—	सागर
(2)	तहसील—	बण्डा
(3)	ग्राम—	गोराखुर्द
(4)	पट. ह. नं.—	69
(5)	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	334.06 हैक्टर

### अनुसूची-1

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कोटूलाल वल्ट राजाराम नना वल्ट महादेव दशरथ गोवर्धन पि. दयाराम कुर्मी बाबूलाल कोमल राजेश संतोष पिस, रतनचंद पुत्री मुनी पुत्रियां रतनचंद राजेन्द्र देवेन्द्र अरविन्द आनंद वीरेन्द्र पिस, मोतीलाल कौशल्यारानी बेवा मोतीलाल जैन साकिन पथरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	745/1	1.85	1.85	
2	धर्सी जगत पुत्रगण फूले संतोष अमोल अशोक पुत्रगण मुरलीधर राठौर.		745/2	1.49	1.49	
3	अजित कुमार पि. मोतीलाल जैन निवासी ग्राम गोराखुर्द भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	745/3 947/2	0.74 0.88	0.74 0.88	
4	संतोष पिता मुरलीधर राठौर साकिन केवलारी भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	746/1	0.54	0.54	

5	घनीराम रामचरण सुदामा रामू आशाराम पिता सा. गिरु, मुकेश, भूरे पिता सा. घनश्याम सियारानी बेबा घनश्याम निवासी ग्राम गोराखुर्द भूमिस्थानी	भूमिस्थानी	746/2	0.04	0.04	
6	घसीट पिता फूले निवासी केवलारी भूमिस्थानी	भूमिस्थानी	746/4	0.53	0.53	
7	कलू वल्द रामचरण साकेन केवलारी	भूमिस्थानी	746/3	0.54	0.54	
8	रामकली बेबा हरप्रसाद हल्लेभाई बेबा, हरप्रसाद जाकिन गोराखुर्द भूमिस्थानी	भूमिस्थानी	1329/3	0.80	0.80	
		भूमिस्थानी	717	0.76	0.76	
		भूमिस्थानी	148	0.03	0.03	
		भूमिस्थानी	749	0.06	0.06	
		भूमिस्थानी	750	0.59	0.59	
		भूमिस्थानी	958/1	0.01	0.01	
9	देवेंद्र पिता तुलसीराम निवासी गोराखुर्द भूमिस्थानी	भूमिस्थानी	751	0.44	0.44	
		भूमिस्थानी	752/2	0.08	0.08	
10	गोकल वल्द मन्नू अहिरवार निवासी गोराखुर्द भूमिस्थानी	भूमिस्थानी	752/1	0.95	0.95	
11	रामचरण शंकर मुज्जा मञ्जू पिस. मूलचर कृष्णनंद विष्णु प्रलाद पिस. छोटेलाल पेमनारायण वल्द गोकल सानिज नाहरगढ़ जहारि प्रसाद रामाधार बहुमानंद सचिवदानंद पिस. जयनारायण, रामकुमार रामविश्वाल पिस. बद्रीप्रसाद केशवबाई बेबा बद्रीप्रसाद जाकिन देह	भूमिस्थानी	927/1	0.18	0.18	
		भूमिस्थानी	753	0.48	0.48	
12	बाहु पिता गुबन्डी अहिरवार निवासी गोराखुर्द	भूमिस्थानी	753/1	0.16	0.16	
13	महेश बल्द रामचरण राठौर निवासी केवलारी	भूमिस्थानी	753/2	0.32	0.32	
14	गोरेलाल पिता और्या निवासी गोराखुर्द	भूमिस्थानी	754/1	0.32	0.32	
15	शीलबाई पति दंखु अहिरवार नि. गोराखुर्द	भूमिस्थानी	754/2	1.20	1.20	
16	अमोल कमलापत पिस. धनुवा अहिरवार निवासी गोराखुर्द	भूमिस्थानी	755/1	0.08	0.08	
		भूमिस्थानी	756	0.08	0.08	
		भूमिस्थानी	758	0.64	0.64	
		भूमिस्थानी	776/1	0.25	0.25	
17	काशीराम जीवन निरपत पिस. चिन्नू निवासी गोराखुर्द	भूमिस्थानी	755/2	0.07	0.07	
		भूमिस्थानी	776/2	0.84	0.84	
		भूमिस्थानी	777	0.15	0.15	
18	भीकम पिता भिमा अहिरवार निवासी गोराखुर्द	भूमिस्थानी	755/3	0.07	0.07	
		भूमिस्थानी	776/3	0.46	0.46	
19	गटीबदाल पिता भिमा अहिरवार निवासी गोराखुर्द	भूमिस्थानी	755/4	0.07	0.07	
		भूमिस्थानी	776/4	0.46	0.46	
20	परमानंद बल्द हरप्रसाद, रामकली वेवा हरप्रसाद निवासी गोराखुर्द	भूमिस्थानी	757	0.33	0.33	
		भूमिस्थानी	899	1.25	1.25	
		भूमिस्थानी	959/3	0.40	0.40	
		भूमिस्थानी	950	0.55	0.55	
21	महेश बल्द विश्वनाथ निवासी गोराखुर्द	भूमिस्थानी	865	0.42	0.42	
22	चौदा वल्द किंदोरा निवासी गोराखुर्द	भूमिस्थानी	759	1.27	1.27	
23	राजेन्द्र देवेंद्र अरविंद आनंद दीरेंद्र पिस. मोतीलाल देलारानी बेबा मोतीलाल जैन	भूमिस्थानी	760	0.56	0.56	
		भूमिस्थानी	761	0.37	0.37	

24	ऐमचंद अष्टश कुमारसींग पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	762/1	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	868	0.35	0.35
		भूमिस्वामी	894/1	1.44	1.44
		भूमिस्वामी	908/1	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	913	0.39	0.39
		भूमिस्वामी	914/1	0.07	0.07
		भूमिस्वामी	892	0.52	0.52
		भूमिस्वामी	762/2	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	893	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	894/2	0.25	0.25
		भूमिस्वामी	908/2	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	914/2	0.06	0.06
		भूमिस्वामी	763/1	0.36	0.36
		भूमिस्वामी	798/4	0.13	0.13
		भूमिस्वामी	763/2	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	798/2	0.13	0.13
		भूमिस्वामी	763/4	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	798/3	0.13	0.13
		भूमिस्वामी	973/2	0.55	0.55
		भूमिस्वामी	763/5	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	798/5	0.13	0.13
		भूमिस्वामी	763/6	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	764	0.16	0.16
		भूमिस्वामी	765	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	766	0.47	0.47
		भूमिस्वामी	767	1.40	1.40
		भूमिस्वामी	918	1.10	1.10
		भूमिस्वामी	929/ 1381	0.22	0.22
		भूमिस्वामी	768/1	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	800/3	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	800/7	0.50	0.50
		भूमिस्वामी	773/1	0.29	0.29
		भूमिस्वामी	806/2	0.19	0.19
		भूमिस्वामी	813/3	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	768/2	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	800/2	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	800/8	0.50	0.50
		भूमिस्वामी	805/1	0.33	0.33
		भूमिस्वामी	806/3	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	768/4	0.31	0.31
		भूमिस्वामी	773/4	0.29	0.29
		भूमिस्वामी	800/4	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	800/6	0.50	0.50
		भूमिस्वामी	806/1	0.18	0.18

35	कोमल वल्ड नंगा अहिंसाराट निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थामी	769	0.48	0.48	
36	कलू वल्ड राजाराम संतोष प्रीतम मुकेश पिता राजाराम राकिंज देह	भूमिस्थामी	774	0.75	0.75	
37	बल्ले वल्ड हल्कू निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थामी	770	0.82	0.82	
		भूमिस्थामी	771/2	0.72	0.72	
		भूमिस्थामी	771/1	0.57	0.57	
		भूमिस्थामी	790	0.18	0.18	
		भूमिस्थामी	791	0.10	0.10	
		भूमिस्थामी	799	0.29	0.29	
		भूमिस्थामी	772	0.84	0.84	
38	मुलाम सुंदर वल्ड हल्काई निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थामी	768/3	0.30	0.30	
39	लीताराम पिता तुलसीराम निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थामी	773/3	0.30	0.30	
		भूमिस्थामी	800/1	0.18	0.18	
		भूमिस्थामी	800/9	0.50	0.50	
		भूमिस्थामी	805/2	0.18	0.18	
		भूमिस्थामी	813/1	0.30	0.30	
40	रामदीन पिता बाबूलाल निवासी छपरट	भूमिस्थामी	775	1.44	1.44	
41	विजय अमोल पिता हल्कू राजाबाई बेबा हल्कू गोड निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थामी	778	0.34	0.34	
42	घनीराम कोमल पिस. नंगा प्यारीबाई बेबा नंगा दणोदाबाई गोंदाबाई पुत्रियाँ नंगा अहिंसाराट साकिंज देह भूमिस्थामी	भूमिस्थामी	1054	0.87	0.87	
43	श्रीराम वल्ड कृष्ण अहिंसाराट निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थामी	779	0.67	0.67	
44	आशाराम अमोल वल्ड मुरलीधर निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थामी	780/1	0.84	0.84	
45	लखन शोभालाल पिस. कल्लेदी बजेश अखिलेश पिस. कल्यान भरस्तुती रुकमणी ममता पुत्रियाँ कल्यान कौशल्या वेवा कल्यान कृष्णकांत नावा. अनिरागनी नावा. वल्ड हरप्रसाद वली व खुद मौं अलुराधा वेवा हरप्रसाद अरविंद श्यामदांकर पिस. भुवानीशंकर कीर्ति पुत्री भुवानीशंकर सहोद्रा वेवा भुवानीशंकर साकिंज देह	भूमिस्थामी	781	0.31	0.31	
		भूमिस्थामी	782	0.91	0.91	
		भूमिस्थामी	784	1.07	1.07	
		भूमिस्थामी	943	2.45	2.45	
		भूमिस्थामी	961	0.07	0.07	
		भूमिस्थामी	1083	0.05	0.05	
		भूमिस्थामी	925	1.40	1.40	
		भूमिस्थामी	807	0.12	0.12	
		भूमिस्थामी	789	0.11	0.11	
		भूमिस्थामी	780/2	0.36	0.36	
46	ओला वल्ड गंगेश निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थामी	780/ 1383	0.22	0.22	
		भूमिस्थामी	783	0.58	0.58	
47	कोदूलाल पि. राजारामन उमाशंकर घनश्याम राजेश पिस. नंदू दशारथ गोवर्धन पिस. दयाराम लखन भवानीशंकर शोभालाल हरप्रसाद कल्यान पिस. कल्लेदी मणग नरेक्क पिस. दीपचंद वीरेक्क कुमार पि. कपूरचंद, दंद्रकुमार प्रवीण कुमार, रविकुमार नेमचंद मुलमचंद पिस. नंदकिशोर विगल सुरेश पिस. गोकाल चंदरामधार पिता बालचंद बाबूला उर्फ हरिनारायण पिजा विश्वनाथ इब्दाज पि. रामलेवक साकिंज देह	भूमिस्थामी	785	0.90	0.90	
48	झलकन वल्ड बल्ले निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थामी	786	0.12	0.12	
		भूमिस्थामी	792	0.20	0.20	
		भूमिस्थामी	793	0.68	0.68	

49	छोटेलाल पि. धनीराम गुलाबबाई बेबा धनीराम अंगूरीखाई बेबा हरप्रसाद अरविंद देवेन्द्र नरेन्द्र सुरेन्द्र पिस. हरप्रसाद निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	788	0.50	0.25	
		भूमिस्वामी	896	0.78	0.78	
50	मणग नरेन्द्र पि. दीपचंद वीरेन्द्र पि. कपूरचंद चंद्रकुमार मुलामचंद नेमचंद प्रवीन कुमार रविमुमार पिटा. नंदकिंशुर रुपचंद निमल कुमार विमल कुमार सुरेण कुमार पिस. गोकलचंद इन्द्रानी वेवा गोकलचंद्र साकिन देह	भूमिस्वामी	794	0.53	0.53	
51	धनीराम वल्ड मित्रू चबार साकिन देह	भूमिस्वामी	798/1	0.13	0.13	
		भूमिस्वामी	973/1	0.55	0.55	
52	जगदीष बल्ड शालकराम कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	801/1	0.23	0.23	
		भूमिस्वामी	802/1	0.16	0.16	
		भूमिस्वामी	951/2	0.36	0.36	
53	दयाशंकर पिता हरिनाथ कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	801/2	0.70	0.70	
		भूमिस्वामी	802/2	0.47	0.47	
		भूमिस्वामी	968/2	1.20	1.20	
54	फूलचंद पिता रामसेवक कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	801/3	0.23	0.23	
		भूमिस्वामी	951/3	0.36	0.36	
55	राजकुमार वल्ड भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	801/4	0.23	0.23	
		भूमिस्वामी	951/4	0.35	0.35	
56	व्याप्रसाद वल्ड पुट्टाई कुर्मी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	927/2	0.05	0.05	
		भूमिस्वामी	928/2	0.06	0.06	
		भूमिस्वामी	1060	0.77	0.77	
		भूमिस्वामी	1239	1.23	1.23	
		भूमिस्वामी	926	1.28	1.28	
57	विजल कुमार वल्ड गोकल निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	933	1.21	1.21	
58	हीराबाई पति दलीप अहिंशार निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	934/2	1.04	1.04	
59	उमाशक्त बनश्याम राजेश पिता घटमदास उर्फ घटमू साकिन देह	भूमिस्वामी	935	1.63	1.63	
		भूमिस्वामी	970	0.85	0.85	
		भूमिस्वामी	1267	0.36	0.36	
		भूमिस्वामी	1269	0.51	0.51	
		भूमिस्वामी	1270	0.04	0.04	
		भूमिस्वामी	891	0.62	0.62	
60	कुर्मी पिता जुगे निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	936	1.26	1.26	
		भूमिस्वामी	1091	0.57	0.57	
61	राजबहादुरसींग वल्ड राजेन्द्रसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	937	1.75	1.75	
		भूमिस्वामी	938	0.53	0.53	
		भूमिस्वामी	1076	2.45	2.45	
		भूमिस्वामी	903	1.46	1.46	
		भूमिस्वामी	907	0.60	0.60	
62	मजबूत मुन्जा तेज सिंह राजाराम पिता खिलान मंगल कर्जई गोपाल बहादुर कुसुमरानी वेवा बहादुर निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	939	0.50	0.50	

63	मोहन वल्ड नंडेलाल निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	940/1 941 981/1 1256/1 1257 942	0.10 0.67 0.58 0.09 0.53 1.37	0.10 0.67 0.58 0.09 0.53 1.37
64	लखनलाल श्रीभालाल पिता। कंछेदी कुर्मी निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	944/1	0.29	0.29
65	विहारी प्रमोद संतोष पिता मिट्ठु सहोद्र बाई वेवा मिट्ठु साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	945/1 944/2	0.33 0.27	0.33 0.27
66	बालचंद वल्ड सठोले कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	945/2 864 1251 1252 1254/2 1255/1 1256/3	0.40 0.32 0.36 0.44 0.17 0.09 0.07	0.40 0.32 0.36 0.44 0.17 0.09 0.07
67	विठ्ठनाथ वल्ड छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	944/3 945/3	0.27 0.33	0.27 0.33
68	प्रकाश इन्द्रज पिता सेवक सहोद्र वेवा सेवक साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	944/4 945/4 945/5 997/1	0.20 0.20 0.02 0.07	0.20 0.20 0.02 0.07
69	सेवक विठ्ठनाथ वल्ड छोटेलाल मिट्ठु बालचंद वल्ड सठोले लिंगार बहु बेबा सठोले साकिन देह	भूमिस्वामी	944/5	1.03	1.03
70	नंडेलाल पिता महादेव कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	946/2 1082/2 1293/1 946/1	0.93 0.21 0.09 0.68	0.93 0.21 0.09 0.68
71	कोटुलाल वल्ड दाजाराम निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	946/3 981/2 1293/2 946/3	0.24 0.59 0.08 0.24	0.24 0.59 0.08 0.24
72	विनोद कुमार वल्ड दाजाराम महेन्द्र कुमार वल्ड गोवर्धन निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	947/1	3.35	3.35
73	काशीदाम दासोदर दाजेब पिता भगवानदास हरीबाई बेबा भगवानदास मोहन भुजबल पिसारान गटीबे सुमतयामी वेवा गटीबे कुर्मी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	948	1.10	1.10
74	पटमानंद हल्केभाई पिता हरप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	949 867 1335 897 951/1	1.35 0.68 3.11 0.17 1.08	1.35 0.68 3.11 0.17 1.08
75	दानीबहु जोजे हारिदास निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	952	3.50	3.50
76	इन्द्रदेव वल्ड महादेव हरिशंकर बल्ड धोकल कुर्मी तुलसाबाई बेबा महादेव निवा सी गौराखुर्द	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	895 909	0.13 2.05	0.13 2.05

			भूमिस्वामी	955	1.06	1.06	
77	बाबूसिंह हरियाम मिठू लखन पिता गुविन्दा रम्बो वेवा गौत्रिन्दा निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	957	0.30	0.30	
78	रामकली पत्नि हरप्रसाद कुर्मा निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	958/2	0.16	0.16	
79	ईश्वरप्रसाद वल्द ज्या प्रसाद		भूमिस्वामी	846	0.63	0.63	
80	गोपाल वल्द लक्मन कुर्मा निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	959/2	0.80	0.80	
81	भवनी ढाकर पिता कन्हेदी निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	960/1	0.41	0.41	
82	द्यालकराम वल्द लक्मन निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	960/2	0.80	0.80	
83	जगयानी जोजे फूले सा. केवलारी		भूमिस्वामी	960/3	0.20	0.20	
84	भगवानदास पिता लक्मन		भूमिस्वामी	1329/4	0.60	0.60	
85	सेवक वल्द लक्मन कुर्मा निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	960/4	0.80	0.80	
86	कल्यान नारायण पिता खुबलींग पहलाद पिता लक्मी, चमेली पुत्री लक्मी, धिल. खुबलींग हरीसींग कोमल पंचम पिल. परसराम, सतीबाई पुत्री परसराम रुपयानी बेबा परसराम सांतोषरानी बेला लाहर प्रहलाद परम पिता जाहर निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	966	0.58	0.58	
87	किशन सिंह वल्द सूरतसिंह सा. बग्नौरीखुर्द नजराज सुजान सिंह धीरज सिंह पिल. धीरज सिंह राजपुत हमीरसिंह पिता महाराज सिंह निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	967	1.15	1.15	
88	कैलाश वल्द भगवानदास कुर्मा निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	968/1	1.20	1.20	
89	श्री देव याथे जी मंदिर बाके मोजा खुर्द मु. श्री रामबालकदास गुरु श्री अर्जुनदास श्रमि स्वामी प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर		भूमिस्वामी	969	2.40	2.40	
90	अनंतराम पिता हरियांकर इन्ड्रदेव पिता महादेव साकिन देह		भूमिस्वामी	975	0.70	0.70	
91	धनीराम वल्द नज्जा अहिरवर निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	977	0.25	0.25	
92	मिठू हरियाम लखन पिता गुविन्दा निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	971	0.86	0.86	
93	श्री दरबारी पिता दौलत निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	901	0.30	0.30	
94	पकडा पिता सेवक बालचन्द्र पिता सटोले विश्वनाथ पिता छोटेलाल निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	900	1.60	1.60	
95	सुजानसींग वीटेंड्र सींग पिल. धीरज सींग निवासी गौराखुर्द		भूमिस्वामी	972	1.06	1.06	
96	श्री अम्बिका प्रसाद दुबे वल्द कुंजबिहारी दुबे साकिन देह		भूमिस्वामी	974	1.09	1.09	
			भूमिस्वामी	978	1.19	1.19	
			भूमिस्वामी	849/2	0.11	0.11	
			भूमिस्वामी	866/2	0.07	0.07	
			भूमिस्वामी	1002	0.44	0.44	
			भूमिस्वामी	1003	0.04	0.04	
			भूमिस्वामी	1005	0.96	0.96	
			भूमिस्वामी	459	1.06	1.06	
			भूमिस्वामी	460	0.20	0.20	
			भूमिस्वामी	461	0.15	0.15	
			भूमिस्वामी	462	0.08	0.08	
			भूमिस्वामी	463	0.17	0.17	
			भूमिस्वामी	1016	0.08	0.08	
			भूमिस्वामी	983	0.96	0.96	

97	सुभान खां उमान खां पिल. हसन खां साकिन देह	भूमिस्वामी	1006	0.07	0.07	
		भूमिस्वामी	1007	0.43	0.43	
		भूमिस्वामी	1008	0.35	0.35	
98	हरिनारायण गणीराम पिल. शैलानिया तेजाबाई वेवा शैलानिया साकिन देह	भूमिस्वामी	995	0.17	0.07	
		भूमिस्वामी	1040	0.67	0.67	
		भूमिस्वामी	1041	0.86	0.86	
		भूमिस्वामी	1047	0.34	0.34	
		भूमिस्वामी	1168	0.70	0.45	
		भूमिस्वामी	1170	0.24	0.24	
		भूमिस्वामी	1171	0.73	0.73	
		भूमिस्वामी	1172	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	1174	0.23	0.23	
		भूमिस्वामी	1187	0.95	0.95	
		भूमिस्वामी	1188	0.05	0.05	
99	कोदूलाल वल्द राजाराम नुना बल्द महादेव दग्धरथ गौवर्धन पिल. दयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1001	0.15	0.15	
100	यशवंत सिंह पिता सारमन सिंह निवाली गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1004/1	0.47	0.47	
101	गजशाल सिंह वल्द थीरज सिंह निवाली गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1004/2	0.48	0.48	
102	जगदीश अमान उत्तम पिल. भगवानदास बड़ी विना पुत्री भगवानदास निवाली गौराखुर्द	भूमिस्वामी	996	0.31	0.15	
		भूमिस्वामी	999	0.45	0.45	
		भूमिस्वामी	1013	0.15	0.15	
		भूमिस्वामी	1014	0.03	0.03	
		भूमिस्वामी	1015	0.44	0.44	
		भूमिस्वामी	1019	0.04	0.04	
		भूमिस्वामी	1020	0.24	0.24	
		भूमिस्वामी	1011	0.22	0.22	
		भूमिस्वामी	1012	0.16	0.16	
		भूमिस्वामी	1026	0.04	0.04	
103	राजकुमार जयकुमार पिता रामदास साकिन पथरिया	भूमिस्वामी	986	0.83	0.83	
		भूमिस्वामी	985/1	0.07	0.07	
		भूमिस्वामी	1066/2/2	0.10	0.10	
104	रामकुमार पिता बद्री पसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	987	0.77	0.77	
105	शोभालाल भगवानदास अरविंद रामू पिल. उमेदी बाई बेबा भुजबल निवाली गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1009	0.18	0.18	
106	बोदनसींग तेजसींग पिता ओटेलाल विश्रामसींग पिता रामप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	980	1.45	1.45	
107	सोनू केशवेन्द्र पिता मुन्ना सिंह सुकवती बेबा मुन्ना सिंह उर्फ अमर सिंह राजपूत निवाली गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1023/1	0.45	0.45	
		भूमिस्वामी	1037	0.46	0.46	
		भूमिस्वामी	1030/2	0.17	0.17	
108	धनीराम परषोत्तम पिता घूू नत्थी पुत्री घूू वर्षा ज्योति पुत्रियां श्रीराम सेन निवाली गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1027/1	0.75	0.75	
		भूमिस्वामी	1066/1	0.42	0.42	
109	जयनारायण पिता हरगोविंद साकिन देह	भूमिस्वामी	1017	0.11	0.11	

110	अमान, जगदीश पिता गुलजार नत्थु पिता रघ्जी रूपसींग देवीसींग मुळा सांतोष गनेश पीतम पिस. भवदसींग सुवलसींग पिता गुमान दुर्गा दुली पुत्रियां गुमान इंदलसिंह मुन्नासिंह पिस. महीप सिंह, चंद्राली वेवा ऊदलसिंह, भगवान सिंह पिता ऊरलसिंह, अशोक, राघवीर, महेश पिता नारायण, जोगाबाई वेवा नारायण, कुलदीप, राजदीप पिता कल्याण सिंह, बसतसिंह, तेजसिंह पिता हमीरसिंह, नत्थसींग, मुमनसींग पिता शंकरसिंह, सावित्री पेहा अनारसींग, दीपा पुत्री अनारसींग, भूपेन, जितेन्द्र, पिता शिशुपाल सिंह, सोनू, केशवेन्द्र पिता मुन्नासिंह, सुकर्ती वेवा मुन्नासिंह, अजय, गबर पिता लुटेब्र सिंह, कर्णसिंह पिता गंधरसिंह, तेजसिंह पिता भवूदसिंह, छत्रपालसिंह, हथपालसिंह, औमपालसिंह पिता धर्मसिंह, रवि, पवन पिता पितृपाल सिंह, साधना वेवा पितृपाल सिंह अंदिका प्रसाद वल्ड कुंजबिहारी, नरहरि प्रसाद, रामाधार, बहमानंद, सच्चिदानंद पिता जयनारायण, रामकुमार पिता बद्रीपलाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1018	0.62	0.62	
111	हस्तु उर्फ युसुफ भद्रु उर्फ इस्माइल गुड़ू उर्फ रसीद रमजान अझम उर्फ आदम पिस. हजरत खाँ रूपालाई बे. हजरत खाँ निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1042	0.69	0.69	
112	रूपबाई बेबा हजरत निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1043	0.64	0.64	
113	विश्वाल सिंह वल्ड गुलाब सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1048/1	0.33	0.33	
114	इमरत पिता सेन निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1052/1	0.32	0.32	
115	इन्द्रानी उर्फ कालीबाई बेबा चुनमुन बसीर निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	984	0.95	0.95	
116	मूमन सिंह वल्ड शंकर सिंह निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	1066/2/1	0.05	0.05	
117	भूपेन्द्र जितेन्द्र पिता शिशुपाल सविता बाई बेबा शिशुपाल निवासी गौराखुर्द	भूमिस्वामी	985/2	0.92	0.92	
118	वसत सिंह मुन्ना सिंह पिता हमीर सिंह सावित्री वेवा अनार सिंह दीपा पुत्री अनार सिंह सोनू केशवेन्द्र पिता मुन्ना सिंह भूपेन्द्र जितेन्द्र पिस. शिशुपालसिंह सविता बेबा शिशुपाल सिंह, धूमनसिंह, नत्थसिंह पिता शंकरसिंह, राजदीप पिता कल्याण, शारदा वेवा कल्याण, महेश, अशोक, राघवीर पिता नारायण सिंह, जोगाबाई वेवा नारायण सिंह, सावित्री वेवा सुरेन्द्रसिंह, अजय, गबर पिता सुरेन्द्र सिंह, करनसिंह पिता गंधर्व सिंह, तेजसिंह पिता भवूदसिंह, छत्रपालसिंह, औमपाल सिंह, हरपालसिंह पिता धर्मसिंह, रवि, पवन पिता पितृपाल सिंह, साधना वेवा पितृपाल सिंह	भूमिस्वामी	1022	0.34	0.34	
119	गोविन्द सिंह वल्ड गुलाब सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1032	0.37	0.37	
		भूमिस्वामी	1098	0.58	0.58	
		भूमिस्वामी	1048/2	0.33	0.33	
		भूमिस्वामी	1052/2	0.32	0.32	

120	प्रेमनारायण शिवराज नीरज पिस. गुलाबसींग चब्बानी बेबा गुलाबसींग कमला पियंका पुत्रिया गुलाबसींग साकिन देह	भूमिस्थानी	1050	0.04	0.04	
121	गफूर बी पुत्री कोटु खौं साकिन लखरोनी	भूमिस्थानी	1053	0.32	0.32	
122	हरप्रसाद वल्द पटगृ जिवाली गौराखुर्द	भूमिस्थानी	1064/1	0.74	0.74	
123	बृजदानी बेबा नन्हासींग कमला पुत्री नन्हू निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थानी	1064/2	1.31	1.31	
124	पटगृ वल्द मुलू टाकिन देह	भूमिस्थानी	1065/1	0.12	0.12	
		भूमिस्थानी	997/1	0.07	0.07	
		भूमिस्थानी	1046	0.69	0.69	
		भूमिस्थानी	1099/1	0.64	0.64	
		भूमिस्थानी	1097/1	0.32	0.32	
		भूमिस्थानी	1181	0.31	0.31	
125	राजठीप पिता कल्यानसींग साकिन देह	भूमिस्थानी	1102	0.22	0.22	
		भूमिस्थानी	1103	3.51	3.51	
		भूमिस्थानी	1169	0.45	0.45	
		भूमिस्थानी	998	0.12	0.12	
126	बलंत सिंह, मुन्ना सिंह पिता हमीरसिंह साकिनी ने अनसरसिंह दीपा पुत्री अनारसिंह भूपेन्द्र जितेन्द्र पिस. शिशुपालसिंह सविताबाई वेवा शिशुपाल सोनू केशवेन्द्र पिता मुन्नासिंह सुकवती वेवा मुन्नासिंह सुटीला वेवा सुरेन्द्रसिंह अजय गव्वर पिस. सुरेन्द्रसिंह करनसिंह पिता गंधरसिंह कुलदीप राजदीप पिस. कल्यानसिंह पि. गंधरसिंह कुलदीप राजदीप पिस. कल्यान शारदा वेवा कल्यान घूमनसिंह नन्हुसिंह पिस. छांकसिंह महेश अषोक रनवीर पिस. नारायणसिंह जोगोबाई वेवा नारायण निवासी गौराखुर्द	भूमिस्थानी	1088	0.11	0.11	
		भूमिस्थानी	1089	0.66	0.66	
127	सुवलसींग वल्द गुमानसींग साकिन देह भूमिस्थानी	भूमिस्थानी	1073	0.79	0.79	
		भूमिस्थानी	1077/1	0.10	0.10	
		भूमिस्थानी	1084	0.24	0.24	
		भूमिस्थानी	1086	0.41	0.41	
		भूमिस्थानी	1079	0.34	0.34	
		भूमिस्थानी	928/1	0.18	0.18	
		भूमिस्थानी	929	0.22	0.22	
		भूमिस्थानी	931	0.22	0.22	
		भूमिस्थानी	1209	0.10	0.10	
		भूमिस्थानी	1211	0.34	0.34	
		भूमिस्थानी	1061	0.52	0.52	
128	रामविश्वाल पिता पटम साकिन देह	भूमिस्थानी	1066/2/3	0.27	0.27	
		भूमिस्थानी	1027/2	0.74	0.74	
129	अलादीन खौं वल्द भूरे खौं साकिन देह	भूमिस्थानी	1067	0.70	0.70	
		भूमिस्थानी	1069	0.80	0.80	
130	वंशी पिता अजुङा साकिन देह	भूमिस्थानी	1068/1	0.18	0.18	
		भूमिस्थानी	1068/2	0.45	0.45	
		भूमिस्थानी	1071	0.60	0.60	

131	छोटीबाई जोजे मुन्जा खाँ निवासी गोदाखुर्द	भूमिस्थामी	1070	0.43	0.43	
132	इन्दलसिंह बल्द महीप सिंह निवासी गोदाखुर्द	भूमिस्थामी	1072/1	0.36	0.36	
		भूमिस्थामी	1081/1	0.15	0.15	
		भूमिस्थामी	1087/1	0.08	0.08	
		भूमिस्थामी	1085	0.18	0.18	
		भूमिस्थामी	919/1	0.33	0.33	
133	मुन्जा सिंह पिता महीपसोंग गोड निवासी गोदाखुर्द	भूमिस्थामी	1072/2	0.35	0.35	
		भूमिस्थामी	1077/3	0.04	0.04	
		भूमिस्थामी	1078	0.36	0.36	
		भूमिस्थामी	1087/2	0.31	0.31	
		भूमिस्थामी	919/2	0.32	0.32	
134	रेखा वेया ऊदल सिंह गोड निवासी गोदाखुर्द	भूमिस्थामी	1074	0.34	0.34	
		भूमिस्थामी	1077/2	0.06	0.06	
		भूमिस्थामी	1080/1	0.28	0.28	
		भूमिस्थामी	1080/2	0.30	0.30	
		भूमिस्थामी	1062	0.53	0.53	
135	घूमन सिंह नव्यु सिंह पिस. टांकट सिंह राजपूत निवासी गोदाखुर्द	भूमिस्थामी	1075	0.20	0.20	
		भूमिस्थामी	1034	1.39	1.39	
		भूमिस्थामी	1035	0.36	0.36	
		भूमिस्थामी	1044	0.08	0.08	
136	सचिन पिता अजित जैन नि. राहपुर	भूमिस्थामी	1082/1	0.14	0.14	
		भूमिस्थामी	745/4	0.40	0.40	
		भूमिस्थामी	947/5	0.40	0.40	
137	राजायम पिता मुल साह	भूमिस्थामी	1092	0.46	0.46	
		भूमिस्थामी	1058	0.62	0.62	
138	राजसीप पिता कल्यानसींग साकिन देह	भूमिस्थामी	1169	0.45	0.45	
139	राजायम पिस. मुल साकिन देह	भूमिस्थामी	1095	0.10	0.10	
		भूमिस्थामी	1097/2	0.44	0.44	
		भूमिस्थामी	997/2	0.08	0.08	
		भूमिस्थामी	1096	0.69	0.69	
140	सरोज जोजे हरपाल सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्थामी	1105	0.17	0.17	
		भूमिस्थामी	1159	0.94	0.94	
141	बसंत सिंह मुन्जा सिंह पिस. हमीरसिंह नारायण सिंह बल्द तखत सिंह साकिन देह	भूमिस्थामी	1109	0.36	0.36	
		भूमिस्थामी	1111	0.57	0.57	
		भूमिस्थामी	1122	0.14	0.14	
		भूमिस्थामी	1125	0.99	0.99	
		भूमिस्थामी	1128	0.99	0.99	
142	छत्रपालसिंह ओमपाल हरपालसिंह पिस. धरमसिंह राति पवन पिस. पितृपालसिंह साधना बेबा पितृपाल तेजसिंह बल्द भवूतसिंह गजराज सिंह सरमनसिंह वीरेन्द्रसिंह सुजानसिंह पिस. धीरजसिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्थामी	1112	0.19	0.19	
		भूमिस्थामी	1113	0.34	0.34	
143	खिलान बेबा मुन्जा मूरत पि. मुन्जा पर्णी पुत्री मुन्जा गोड साकिन देह	भूमिस्थामी	1114	0.29	0.29	
		भूमिस्थामी	1130/1	0.18	0.18	
		भूमिस्थामी	1152	0.45	0.45	

144	कुलदीप राजदीप पिस. कल्यान सिंह शारदाबाई वेवा कल्यानसिंह महेश अटोक रणवीर पिस. नारायण जोगोबाई वेवा नारायण सिंह सुशीला वेवा सुरेन्द्र अजय गव्वर पिस. सुरेन्द्र करनसींग पिस. गर्धवसींग बसंतसिंह वल्द हमीरसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1116	0.41	0.41	
		भूमिस्वामी	1117	0.30	0.30	
		भूमिस्वामी	1155	0.23	0.23	
145	कुलदीप, राजदीप पिस. कल्यानसींग, शारदाबाई वेवा कल्यानसींग, महेश, अटोक, रणवीर पिता नारायण सींग, जोगोबाई वेवा नारायणसींग, 'सुशीला वेवा सुरेन्द्र सिंह, अजय, गव्वर पिता. सुरेन्द्र सिंह, करनसिंह पिता गंधर्व सींग, बसंतसींग पिता मुज्जासींग पिस. हमीरसींग, वीरसींग वल्द नारायण सींग, लूपसींग, हमीरसींग, तेजसींग पिस. भवृदर्शींग, छापाल, हरपाल, ओमपाल, पिस. घरमसींग, रवि, पवन पिस. पितृपाल, साधना वेवा पितृपाल सिंह, उदलसिंह, इदलसिंह, मुज्जासिंह पिता महीपसिंह, सुबलसिंह वल्द गुमान सिंह, दुर्गा, दुल्ली पुत्रियां गुमान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1118	0.45	0.45	
		भूमिस्वामी	1156	0.17	0.17	
		भूमिस्वामी	1160	0.30	0.30	
			1161	0.13	0.13	
146	मुज्जासिंह उर्फ तेजसिंह पिता हमीरसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1119	1.31	1.31	
		भूमिस्वामी	1133/1	0.58	0.58	
		भूमिस्वामी	1134	0.18	0.18	
		भूमिस्वामी	1135	0.95	0.95	
		भूमिस्वामी	1136	0.33	0.33	
		भूमिस्वामी	1137	0.16	0.16	
147	परशोत्तम वल्द कीरत छोटीबहू वेवा कीरत बहादुर व. मांगू भवृतसींग व. जगतसींग सुवल वल्द गुमानसींग दुर्गा रल्ली पुत्री गुमान महीपसींग व. दम्मू मानसींग व. खूबसींग नत्यू व. रज्जी सजली वेवा रज्जी हमीर नारनसिंह नवलसिंह पिस. तखतसिंह अनारसिंह शिशुपालसिंह पिस. जगतसिंह सुरेन्द्रसिंह करनसिंह पिस. गंधर्व सिंह, बसंतसिंह पिता हमीरसिंह घरमसिंह वल्द भवृतसिंह गूलचंद तृष्णानंद विष्णु पिस. छोटेलाल प्रेमनारान व. गोकल गोटीबहू वेवा विक्रावन पूलबाई पुत्री घूमलींग नत्यूसींग पिस. शंकरसींग सुमंत्राबाई वेवा शंकरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1120	0.24	0.24	
		भूमिस्वामी	1121	0.43	0.43	
		भूमिस्वामी	1127	0.03	0.03	
148	सुवलसिंह वल्द गुमानसिंह परशोत्तम पि. कीरत सिंह मुज्जा सिंह तेजसिंह राजाराम मजबूतसिंह पिस. खिलाल सिंह मंगल कर्नई गुपाल पिस. बहादुर कुसुमरानी वे. बहादुर भगवानसिंह पि. उदलसिंह इदलसिंह मुज्जासिंह पिस. महीपसिंह लच्छी वेवा खूबसिंह नत्य पि. रज्जी बसंतसिंह मुज्जासिंह पिस. हमीरसिंह घुमनसिंह नत्यूसिंह पिता शंकरसिंह कुलदीप राजदीप पिस. कल्यानसिंह शारदाबाई वे. कल्यानसिंह महेश अटोक रणवीर पिस. नारायणसिंह जोगोबाई वे. नारायणसिंह भूपेन जितेन्द्र पिस. शिशुपालसिंह साविता वेवा शिशुपालसिंह सावित्री वेवा अनारसिंह दीपा पुत्री अनारसिंह सोनू केशवेन पिस. मुज्जा सिंह सुखवती वेवा मुज्जासिंह सुशीला वेवा सुरेन्द्र सिंह अजय गव्वर पिस. सुरेन्द्र करनसिंह पिता गंधर्व सिंह छापालसिंह परपालसिंह ओमपालसिंह पिस. घरमसिंह रवि पवन पिस. पितृपाल सिंह साधना वेवा पितृपाल सिंह तेजसिंह	भूमिस्वामी	1121	0.43	0.43	
		भूमिस्वामी	1127	0.03	0.03	

	पि. भवूदलिंह साकिन देह				
149	छत्रपालसिंह ओमपाल सिंह हरपालसिंह पिस. धरमसिंह रवि पवन पिस. पितृलाल सिंह साधना बेबा पितृपाल तेजसिंह वल्द भवूतसिंह सुरेन्द्र सिंह करनसिंह पिस. गंधर्व सिंह मुज्जना सिंह वल्द हमीरसिंह वीरसिंह नव नारायणसिंह राजपूत युबल सिंह वल्द गुरु।निंह इबल सिंह मुज्जासिंह पिस. महीपसिंह भगवानासिंह वल्द उदलसिंह चब्रसानी बेबा उदल सिंह गोड साकिन देह	भूमिस्वामी	1123	0.09	0.09
		भूमिस्वामी	1138	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1141	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	1144	0.02	0.02
150	बसंत सिंह वल्द हमीरसिंह राजपूत साकिन देह	शूगिल्लामी	1121/1	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	1131	0.72	0.72
		भूमिस्वामी	1133/2	0.58	0.58
		भूमिस्वामी	1126	0.44	0.44
		भूमिस्वामी	1132	0.62	0.62
151	बसंतसिंह मुज्जना सिंह पिस. हमीरसिंह नारान सिंह पिता तखत सिंह सुरेन्द्र सिंह करन सिंह पिस. गंधर्व सिंह सुरलसिंह वल्द गुमानसिंह भगवानसिंह पिता उदलसिंह चद्दानी वेवा उदलसिंह इबलसिंह मुज्जासिंह पिस. महीपलीन साकिन देह	भूमिस्वामी	1139	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	1140	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	1142	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	1143	0.08	0.08
		भूमिस्वामी	1145	0.18	0.18
		भूमिस्वामी	1146/2	0.04	0.04
		भूमिस्वामी	1147	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	1153/1	0.24	0.24
		भूमिस्वामी	1153/3	0.27	0.27
152	रवि कुमार पवन कुमार पिटा. पितृपाल साधना नेता पितृपाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1146/1	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	1148/1	0.41	0.41
		भूमिस्वामी	1149/1	0.23	0.23
		भूमिस्वामी	1153/4	0.03	0.03
		भूमिस्वामी	1148/2	0.02	0.02
		भूमिस्वामी	1153/2	0.67	0.67
153	गारदा वे. छत्रपाल वर्षा वा. रिमालिम नावा. मेघा नावा. पि. छत्रपाल वर्ली मॉ गारदा वेवा छत्रपाल साकिन सागर	भूमिस्वामी	1149/2	0.05	0.05
		भूमिस्वामी	1150	0.64	0.64
154	ओमपाल सिंह वल्द धरमसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1151	0.32	0.32
155	हरपाल सिंह पिता भवूतसिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1154	0.62	0.62
		भूमिस्वामी	1158	0.29	0.29
		भूमिस्वामी	1161/1382	0.20	0.20
		भूमिस्वामी	1110	0.35	0.35
		भूमिस्वामी	1115	0.31	0.31
156	छत्रपाल सिंह ओमपाल हरपाल सिंह पिस. धरम सिंह रवि पवन पिस. पितृपाल सिंह साधना बेबा पितृपाल तेज सिंह वल्द भवूतसिंह महेंगा, अटोक, रायरीर पिता नारायण, जोगोबाई वेवा नारायण, करनसिंह पिता गंधर्व सिंह बसंतसिंह पिता हमीर सिंह, सुशीला वेवा सुरेन्द्र सिंह, अजया, गब्बर पिता सुरेन्द्र सिंह, कुलदीप, राजदीप पिता कल्यान सिंह शारदा बाई वेवा कल्यानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1157	0.26	0.26
157	सुरेन्द्र सिंह करनसिंह पिस. गंधर्व सिंह रूपरानी वे. गंधर्व सिंह साकिन दह	भूमिस्वामी	1166	0.45	0.45
158	नरेन्द्र पिता मोहन सिंह घोषी कुलदीप राजदीप पिस. कल्यान सिंह शारदाबाई वे. कल्यान सिंह नवल सिंह वल्द तखत सिंह राजपूत साकिन देह				

159	गव्वरसिंह पिसा. सुरेन्द्र सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्थामी	1162/1	0.20	0.20	
		भूमिस्थामी	1163/1	0.08	0.08	
		भूमिस्थामी	1100/1	0.03	0.03	
		भूमिस्थामी	1101	0.07	0.07	
		भूमिस्थामी	1162/2	1.00	1.00	
160	कण्ठसिंह बलद गंधर्व सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्थामी	1163/2	0.18	0.18	
		भूमिस्थामी	1100/2	0.30	0.30	
		भूमिस्थामी	1164/2	0.19	0.19	
		भूमिस्थामी	1165/2	0.12	0.12	
		भूमिस्थामी	1099/2	0.63	0.63	
161	कुलीष राजनीष पिसा. कल्याण सिंह शास्त्रबाई बेबा कल्याण सिंह राजपूत साकिन देह	भूमिस्थामी	1178	0.32	0.32	
162	राजाराम पिसा. मुद्द साकिन देह	भूमिस्थामी	1179	0.26	0.26	
163	राजेश करन गनेश पिसा. गुमना शाखा बेबा गुमना अहिरवार साकिन देह	भूमिस्थामी	1180/1	0.25	0.25	
		भूमिस्थामी	1182/1	0.22	0.22	
		भूमिस्थामी	1214/1	0.25	0.25	
164	शीलदानी पति कुर्जी साकिन रुसल्ला	भूमिस्थामी	1180/2	0.26	0.26	
		भूमिस्थामी	1182/2	0.21	0.21	
165	लवेश पुत्र गले अहिरवार साकिन देह	भूमिस्थामी	1214/2	0.36	0.36	
166	रामदास बलद चेते अहिरवार साकिन देह	भूमिस्थामी	1183/1	0.15	0.15	
		भूमिस्थामी	1184	0.14	0.14	
		भूमिस्थामी	1185	0.04	0.04	
		भूमिस्थामी	1186	0.96	0.69	
		भूमिस्थामी	1195	0.50	0.50	
		भूमिस्थामी	1196	0.11	0.11	
		भूमिस्थामी	1197	0.22	0.22	
		भूमिस्थामी	1189	0.17	0.17	
		भूमिस्थामी	1207	1.50	1.50	
		भूमिस्थामी	1208	0.96	0.96	
		भूमिस्थामी	1232	0.40	0.40	
167	अमान बलद भगवानदास खंगार साकिन देह	भूमिस्थामी	1190	0.14	0.14	
		भूमिस्थामी	1191	0.25	0.25	
		भूमिस्थामी	1194	0.18	0.18	
		भूमिस्थामी	1183/2	0.23	0.23	
		भूमिस्थामी	1292/1	0.53	0.53	
		भूमिस्थामी	1192	0.79	0.79	
		भूमिस्थामी	1224/1	0.80	0.80	
168	वनमाली रतीराम प्रकाश पिसा. शर्दई साकिन देह	भूमिस्थामी	1201/2	0.10	0.10	
		भूमिस्थामी	1199	0.85	0.85	
		भूमिस्थामी	1200	0.06	0.06	
		भूमिस्थामी	1201/1	0.09	0.09	
		भूमिस्थामी	1202	0.03	0.03	
		भूमिस्थामी	1203	0.05	0.05	
		भूमिस्थामी	1204	0.05	0.05	
169	वनमाली बलद शर्दई साकिन देह	भूमिस्थामी	1230	0.41	0.41	
170	प्रेमकुमार पिता ज्याप्रसाद गंगाराम नावा. बलद रामदास बली व स्वयं गाँ लीतारानी तेवा रामदास					
171	गणेश बलद वनमाली साकिन देह					

		शूमिस्वामी	1236	0.16	0.16
172	दण्डरथ गोवर्धन पिस. रामदयाल व्याप्रसाद साकिन देह	शूमिस्वामी	1229	0.44	0.44
		शूमिस्वामी	1205	0.45	0.45
		शूमिस्वामी	1227/1	0.49	0.49
		शूमिस्वामी	1227/3	0.24	0.24
173	काशीराम धुजयल पिस. विहारी साकिन देह	शूमिस्वामी	1212/1	0.29	0.29
174	विश्राम वल्द काशीराम साहु साकिन देह	शूमिस्वामी	1212/2	0.28	0.28
175	सरिता पति विहार लिंह साकिन दह	शूमिस्वामी	1215/1	1.86	1.86
176	रघुना पति गोविन्द सिंह राजपूत साकिन देह	शूमिस्वामी	1215/2	1.87	1.87
177	गंगाराम वल्द रामदास सीतारामी बेबा रामदास कुर्मी साकिन देह	शूमिस्वामी	1210	0.05	0.05
		शूमिस्वामी	1216	0.15	0.15
		शूमिस्वामी	875	0.06	0.06
		शूमिस्वामी	921	0.36	0.36
		शूमिस्वामी	930	0.77	0.77
		शूमिस्वामी	890	1.32	1.32
178	सुपामा पिता कलू साकिन देह	शूमिस्वामी	1217/1	0.28	0.28
179	गोविन्द लिंह विहार लिंह पिस. गुलाब लिंह राजपूत साकिन देह	शूमिस्वामी	1217/2	0.28	0.28
180	जटारथ वल्द रमु कुर्मी साकिन देह	शूमिस्वामी	1217/3	0.27	0.27
181	आगबाई बेबा अगवानदास पुष्टेन्द्र हरीदास बनी नावा. पिस. भगवानदास बली गों आगबाई साकिन देह	शूमिस्वामी	1217/4	0.28	0.28
182	इमरतीबाई पति गंधर्व साकिन देह	शूमिस्वामी	1217/5	0.28	0.28
183	विकावन वल्द रमु कुर्मी साकिन देह	शूमिस्वामी	1217/6	0.28	0.28
184	किशोर वल्द नत्थु साकिन देह	शूमिस्वामी	1218/1	0.26	0.26
185	कमलेश वल्द नत्थु साकिन देह	शूमिस्वामी	1218/2	0.25	0.25
186	अरविन्द वल्द फूलसिंह राजपूत साकिन देह.	शूमिस्वामी	1219	1.65	1.65
187	मुकेष रामकेश नावा. पिस. सोनी वली मों सियाबाई कुर्मी साकिन देह	शूमिस्वामी	1218/4	0.50	0.50
188	रमेश राजेन्द्र देवेन्द्र पिस. सुकका अहिरवार साकिन देह	शूमिस्वामी	1221	1.19	1.19
189	रामकुमार पिता बद्री प्रसाद साकिन देह	शूमिस्वामी	1222	0.99	0.99
190	जवाहर जयहिन्द पिस. लखनलाल बजेश अखिलेश पिस. कल्यान हयामठांकर अरुहिन्द पिस. भवानीश्तांकर कृष्णकांत नावा. पिस. हरप्रसाद शोभालाल पि. कन्धेदी साकिन देह	शूमिस्वामी	1223	1.77	1.77
		शूमिस्वामी	1250	1.53	1.53
		शूमिस्वामी	962/2	0.80	0.80
191	पुष्टेन्द्र कुमार पि. वीरेन्द्र कुमार साकिन देह	शूमिस्वामी	1224/2	1.29	1.29
		शूमिस्वामी	1272/1	0.71	0.71
192	आगबाई बे. रमदीना सकुन किलन पुत्रियां रमदीना साकिन देह	शूमिस्वामी	1225	1.22	1.22
193	खुनिया बेबा थोवन साकिन देह	शूमिस्वामी	1226	0.40	0.40
194	विहारी प्रमोद संतोष पिस. मिठू सहोद्राबाई वेवा मिठू साकिन देह	शूमिस्वामी	1227/2	0.50	0.50

195	प्रेमकुमार पि. जया प्रसाद कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1228	2.84	2.84	
		भूमिस्वामी	1249	1.54	1.54	
		भूमिस्वामी	1263	0.82	0.82	
		भूमिस्वामी	1264	0.33	0.33	
		भूमिस्वामी	1265	0.81	0.81	
		भूमिस्वामी	1237	0.66	0.66	
196	दयामणांकर अरविन्द पिस. भुवानीश्वर कल्प शुद्ध जयाहट जयाहट नावा. पिस. तलो लखन साकिन देह	भूमिस्वामी	1234	0.61	0.61	
197	गिरीलाल अगवानदास पिस. कमल अहितार पता सा. लखनी	भूमिस्वामी	1235	1.31	1.31	
198	दयामणांकर पिता हरिदास कौशल्यारानी बेबा हरीदास मुन्ना सुरेश पिस. गोकल इन्द्राणी बेबा गोकल चंपाबाई चंमेली पुत्रियां गोकल इन्द्राणी बेबा रामकर्ण पिता प्रेमकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	1240	0.72	0.72	
199	लक्ष्मचंद वल्ड गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	1242/1	0.21	0.21	
		भूमिस्वामी	1243	1.54	1.54	
200	दीपचंद वल्ड लक्ष्मचंद साकिन दामपुरा सागर	भूमिस्वामी	1242/2	0.71	0.71	
		भूमिस्वामी	1247	1.05	1.05	
201	गिर्भय पिता दयारथ गोड साकिन शाहपुर	भूमिस्वामी	1244	0.73	0.73	
		भूमिस्वामी	1245	0.24	0.24	
		भूमिस्वामी	1246/2	0.05	0.05	
		भूमिस्वामी	1285	0.07	0.07	
		भूमिस्वामी	1286	0.35	0.35	
		भूमिस्वामी	1291	1.05	1.05	
		भूमिस्वामी	982	0.71	0.71	
202	इन्द्राणी पुत्री पुज्ले पति गजाराज साकिन पातरेकोटा	भूमिस्वामी	1246/1	0.39	0.39	
203	कमलेश पिता वीरेन्द्र कुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	1248	0.68	0.68	
		भूमिस्वामी	1272/2	0.44	0.44	
204	विश्वनाथ व. छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1253	0.07	0.07	
		भूमिस्वामी	1254/1	0.50	0.50	
		भूमिस्वामी	1256/2	0.55	0.55	
205	ब्रजेश व. अखलेश नावा. पिस. व बली कल्यान शोभालाल हरप्रसाद पिस. कल्पेशी कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1255/2	0.35	0.35	
206	कुंजीलाल पिता खिलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1258	0.58	0.58	
207	कमल पिलान पुनरु दाजरानी बेबा कनऊ हनमतसीग पिता खुमानसीग अवधरानी बेबा खुमानसीग साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1273	1.00	1.00	
		भूमिस्वामी	1274	0.16	0.16	
		भूमिस्वामी	1277	0.36	0.36	
		भूमिस्वामी	1280	1.07	1.07	
		भूमिस्वामी	1289	1.00	1.00	
		भूमिस्वामी	1290	1.06	1.06	
		भूमिस्वामी	1297	0.55	0.55	
		भूमिस्वामी	1356	0.56	0.56	
		भूमिस्वामी	1362	0.08	0.08	
		भूमिस्वामी	1363	0.24	0.24	

208	पण्डु कल्याण पिल. प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1260	0.80	0.80	
209	घनीराम उमराव सुंदर रामचण्ठ हरीशंकर द्वारका पिल. जगबनाथ सा. केवलारी	भूमिस्वामी	1261	0.59	0.59	
210	गजराज पिता पुन्ने साकिन देह	भूमिस्वामी	1262	0.10	0.10	
211	धोजेन्द्र कुमार महेन्द्र पिल. खुबचंद्र साकिन मझगुला	भूमिस्वामी	1266	0.46	0.46	
		भूमिस्वामी	1271/1	0.81	0.81	
212	गिरीलाल वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1271/2	0.40	0.40	
213	हरीसींग ललकनसींग पिल. काहीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	1276	0.36	0.36	
		भूमिस्वामी	1278	0.54	0.54	
		भूमिस्वामी	1359/ 1376	0.43	0.43	
214	हनमतसींग पिता खुमानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1279	0.64	0.64	
		भूमिस्वामी	1281	0.75	0.75	
		भूमिस्वामी	1282/1	0.14	0.14	
		भूमिस्वामी	1357/1	0.04	0.04	
		भूमिस्वामी	1370/1	0.15	0.07	
215	संबु लटोरे पिल. पकु सुमतानी बेबा यंकू कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1282/2	0.88	0.88	
		भूमिस्वामी	1283	0.35	0.35	
		भूमिस्वामी	1357/2	0.04	0.04	
216	ईश्वरदास मुकेश पण्डु पिल. हनमतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1287	1.30	1.30	
		भूमिस्वामी	1288	0.07	0.07	
217	अरोसा वा. मडदीना नावा. पिता व बली रम्मू पता सा. बुढाखेड़ा	भूमिस्वामी	1292/2	0.53	0.53	
218	बोदनसींग तेजसींग पिल. छेटेलाल विश्राम सींग पिता रामधासाद साकिन देह	भूमिस्वामी	1294	0.72	0.72	
219	चिंता दुर्गा दम्मू पिता कडोरा बारीबहू बेबा कडोरा गंधर्व बाई पुत्री तिनऊ साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1295	0.29	0.29	
220	अनंतराम वल्द रतीराम कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	1296	0.21	0.21	
221	मोती वल्द उदेत कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1299/1	0.17	0.17	
		भूमिस्वामी	1300/1	0.06	0.06	
		भूमिस्वामी	1325/2	0.07	0.07	
		भूमिस्वामी	1365/1	0.17	0.17	
		भूमिस्वामी	1260/1	0.16	0.08	
		भूमिस्वामी	1299/2	0.17	0.17	
		भूमिस्वामी	1300/2	0.06	0.06	
		भूमिस्वामी	1355/3	0.32	0.32	
		भूमिस्वामी	1365/2	0.18	0.18	
		भूमिस्वामी	1325/4	0.07	0.07	
		भूमिस्वामी	1360/2	0.17	0.08	
222	बद्री पिता उदेत कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1301	0.12	0.12	
		भूमिस्वामी	1302	0.08	0.08	
		भूमिस्वामी	1325/1	0.28	0.28	
		भूमिस्वामी	1364/1	0.24	0.24	
		भूमिस्वामी	1304	0.13	0.13	
		भूमिस्वामी	1309	0.20	0.20	
		भूमिस्वामी	1324	0.43	0.43	
223	परखोत्तम वल्द कमल कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1355/2	0.48	0.48	
224	मलखान वल्द पण्डु कुर्मी साकिन केवलारी					

225	दयामलाल पिता धीरे सोनेलाल प्रेमनारायण पिता दयामलाल	भूमिस्वामी	842/1	0.09	0.09	
226	जमनाप्रसाद नावा. वल्ड बली दयाशंकर वल्ड हरीदास कुम्ही साकिन देह	भूमिस्वामी	842/3	0.32	0.32	
		भूमिस्वामी	836/1	0.99	0.99	
227	दयाशंकर पिता हरीदास कौशल्यारानी बेबा हरीदास साकिन देह	भूमिस्वामी	843	1.11	0.55	
228	इब्बदेव वल्ड महादेव हरिशंकर वल्ड धोकन कुम्ही तुलसीबाई बेबा महादेव साकिन देह*	भूगिस्वामी	847	0.68	0.34	
229	परमानंद नावा. वल्ड व बली हरप्रसाद वल्ड आगीरय रामकली जोजे हरप्रसाद इब्बदेव नावा. बली महादेव वल्ड धोकल अनंतराम नावा. वल्ड व तली हरिशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	848	0.34	0.34	
230	सुदागा पि. करु नतीबाई वे. शिवराम कमलेश महेश गोतिंद पि. शिवराम राजकुमारी पुत्री शिवराम लेन साकिन देह	भूमिस्वामी	849/1	0.36	0.12	
		भूमिस्वामी	866/1	0.21	0.21	
231	अमान पिता अजुदी साकिन देह	भूगिस्वामी	803/1	0.39	0.39	
232	दगाम पिता अजुदी साकिन देह	भूमिस्वामी	804/1	0.41	0.41	
233	करु पिता रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	803/2	0.82	0.82	
234	रतीराम लक्मण हरीदास पिला. जोगीलाल भुवानीबाई चिखाबाई पुत्री जोगीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	804/2	0.63	0.63	
235	प्यारीबाई जोजे अजुदी देवसींग वल्ड अजुदी साकिन देह	भूमिस्वामी	808	1.63	1.63	
236	इब्ब वल्ड महादेव तुलसीबाई बेबा महादेव साकिन देह	भूमिस्वामी	809	1.67	1.00	
237	जनकरानी जो. चतुर्भुज कुम्ही पुत्री ईश्वरदास साकिन देह	भूमिस्वामी	810	1.41	0.70	
238	श.लक्मण पिता लक्मण साकिन देह	भूमिस्वामी	821	0.24	0.24	
239	दयाशंकर पिता हरीदास कौशल्यारानी बेबा हरीदास साकिन देह	भूमिस्वामी	823	1.25	0.93	
240	जोपाल पुत्र लक्मण कुम्ही साकिन देह	भूमिस्वामी	831	0.71	0.52	
241	दयाशंकर पिता हरीदास दीपा पुत्री हरीदास कुम्ही साकिन देह	भूमिस्वामी	841	2.77	2.50	
242	भगवानदास पिता लक्मण साकिन देह	भूमिस्वामी	832	1.41	1.00	
243	राजेश पिता ईश्वर प्रसाद कुम्ही साकिन देह	भूमिस्वामी	833	1.56	1.20	
244	ओमप्रकाश पिता ईश्वर प्रसाद कुम्ही साकिन देह	भूमिस्वामी	834	0.97	0.97	
245	प्रकाश, इब्बाज पिला. सेवक सहोद्रा बाई बेबा सेवक	भूमिस्वामी	835	1.18	1.18	
246	प्रिस पिता अजीत जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	838	0.41	0.41	
247	बालचंद्र पिता पंचमा पता सा. केवलारी	भूमिस्वामी	837	0.27	0.27	
248	गणेहर पिता गोविल्ल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	839	0.10	0.10	
249	फूले पिता कल्लेदी पता सा. केवलारी	भूमिस्वामी	840	0.39	0.39	
250	अच्छेलाल पिता चेतु धानक साकिन देह	भूमिस्वामी	797/1	0.07	0.07	
251	सतोष वल्ड कमल कुम्ही साकिन देह	भूमिस्वामी	797/2	0.19	0.19	
		भूमिस्वामी	1332/2	0.15	0.15	
		भूमिस्वामी	1333	0.21	0.10	
		भूमिस्वामी	1355/1	0.32	0.32	
		भूमिस्वामी	1336/1	0.44	0.44	
		भूमिस्वामी	1329/2	0.75	0.75	
		भूमिस्वामी	1326	0.35	0.35	
		भूमिस्वामी	1327	0.06	0.06	
		भूमिस्वामी	1298	0.32	0.32	

252	संतोष, अमोल, अरोक पिस. मुरलीधर साकिन केवलारी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूगिस्वामी	1329/1 1331 1334 1330	0.07 0.33 1.09 0.11	0.07 0.33 1.09 0.11
253	जगदानी जोजे फूले साकिन देह	भूमिस्वामी	1329/4	0.60	0.60
254	ददयात महेश श्रवणानदास पिता दुर्वा कुमी पता सा. केवलारी	भूमिस्वामी	1327	0.44	0.44
255	ऐमनारायण शिवराज नोरज पिस. गुलाबधीग चंद्रानी वे. गुलाबधीग कगला पियंका पुत्रियां गुलाबधीग साकिन देह	भूमिस्वामी	1361	0.15	0.15
256	ददय गोवर्धन वल्द दयाराम, देशानी, बेबा गोकल उर्फ कलू दमेश मुन्ना पिता जोकल इन्दु नावा. पिता मनग वली आजी माँ ददयानी साकिन देह	भूमिस्वामी	871	0.22	0.06
257	ईश्वर प्रसाद वल्द गया प्रसाद, राजदानी, बेबा गराप्रसाद तारा. कल्तुरी. चम्पा. मैना पुत्री काशीराम, मणि, नरेन्द्र पिता दीपचंद्र सा. देह	भूमिस्वामी	872	0.08	0.08
258	ददय गोवर्धन पिता दयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूगिस्वामी भूमिस्वामी	873 922 870 920	0.11 1.18 0.90 1.74	0.11 1.18 0.90 1.74
259	वीरेन्द्र पिता कपूरचंद्र साकिन देह	भूमिस्वामी	924	0.31	0.31
260	कमलेश पिता वीरेन्द्र कुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	780/2	0.36	0.36
261	भोला वल्द गनेशा साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	780/ 1283 783	0.22 0.58	0.22 0.58
262	ददय गोवर्धन पिस. दयाराम उमाशंकर घनदयाम पिस. नंदु राजेश वल्द धरम कुमी	भूमिस्वामी	1082/3	0.57	0.57
263	ज्याप्रसाद वल्द पुट्टाई सब्बोखाई पुत्री पुट्टाई दयाराम वल्द भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	869	0.47	0.47
264	बोरा रामचंद पिता वंदी कुमी साकिन देह	भूमिस्वामी	889	0.04	0.04
265	आगवती बेबा फगुवा द्वारका रामेश्वर पिस. फगुवा गुड़ी ललता पुत्री फगुवा अहिश्वार पता हिनोती	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	904 905	0.23 0.31	0.23 0.31
266	आगवती जोजे फगु	भूमिस्वामी	906	0.85	0.85
267	पिस पिता अजित जैन साकिन शाहपुर	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	797/2 947/3 959/1	0.19 0.40 0.11	0.19 0.40 0.11
268	गुडू पिता हरिशेंकर इन्द्रदेव पिता महादेव तुलसा वे. महादेव कुमी साकिन देह	भूमिस्वामी	910	0.21	0.21
269	सुरेश चंद वल्द गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	911/1	0.70	0.70
270	पदम कुमार वल्द गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	911/2	0.70	0.70
271	रूपचंद निर्मल सुरेश पदम विमल पिस. गोकल चमेली पुत्री गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	912	0.34	0.34
272	जवाहरलाल वल्द लखनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	915	1.84	1.84
273	हरप्रसाद पिस. कब्बेदीलाल बजेश अखिलेश पिस कल्यान सरसुती लक्ष्मणी ममता पुजिया कल्याण कौशिल्या वेता कल्याण, कृष्णकांत नाबालिंग अनिल, रागनी नाबालिंग वल्द हरप्रसाद वली व खुद माँ अनुराधा वेवा हरप्रसाद, अरविन्द, उद्यामठांकर पिस. भुवानीशंकर, कीर्ति पुत्री भुवानीशंकर, सहोद्रा वेवा भुवानीशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	916	1.88	1.88

274	चंद्रकुमार पि. नंद किशोर जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	917/1	0.57	0.57
275	प्रवीण कुमार पिता नंदकिशोर जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	917/2	0.57	0.57
276	रवि पिता नंद किशोर जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	917/3	0.57	0.57
277	मुलामचंद पिता नंदकिशोर जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	917/4	0.57	0.57
278	लोम्हीचंद पिता नंद किशोर जैन साकिन देह	भूमिस्वामी	917/5	0.57	0.57
		भूमिस्वामी	917/6	0.01	0.01
279	लखनलाल वल्ड कलेदी कुर्मी साकिन देह	भूमिस्वामी	963	0.40	0.40
		भूमिस्वामी	964/1	0.78	0.78
		भूमिस्वामी	964/2	0.80	0.80
280	हरिबाई बेबा दलीप साकिन देह	भूमिस्वामी	934/1	0.06	0.06
281	नत्वीबाई पति कोट्लाल कुर्मी राकिन देह	भूमिस्वामी	940/2	0.77	0.77
282	परमू वल्ड मुल साकिन देह	भूमिस्वामी	1045	0.46	0.46
		भूमिस्वामी	1046	0.69	0.69
		भूगिस्वामी	1097/1	0.32	0.32
		भूमिस्वामी	997/1	0.07	0.07
283	साकी पति कुलदीप सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1099	0.64	0.64
		भूमिस्वामी	1055	0.83	0.83
		भूमिस्वामी	1059	0.98	0.98
284	रामचरण पिता कलेदी नि. केवलारी	भूमिस्वामी	1336/2	0.44	0.44
285	संतोष अमोल अद्योक पिस. मुरलीधर पता सा. केवलारी	भूमिस्वामी	1329/1	0.07	0.07
286	अन्तेलाल पिता चेतु धानक साकिन देह	भूमिस्वामी	1329/2	0.75	0.75
287	सूमन सिंह पिता शंकर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1065/2	1.15	1.15
288	दलदसीन, मुज्जासिंह पिता महीपसीन, भगवान दिंह वल्ड ऊदलसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	1080/3	0.02	0.02
289	अजय पिता सुरेन्द्र राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1100/3	0.10	0.10
		भूमिस्वामी	1162/3	0.30	0.30
		भूमिस्वामी	1163/3	0.10	0.10
290	सुषीला वेवा सुरेन्द्र राजपूत साकिन देह	भूमिस्वामी	1100/4	0.10	0.10
		भूमिस्वामी	1162/4	0.11	0.11
		भूमिस्वामी	1163/4	0.08	0.08
291	अवधारानी वेवा भवृतलीन साकिन देह	भूमिस्वामी	1130/2	0.18	0.18
292	राजाराम, नन्हेभाई, हेमराज पिता हरिदास साकिन पिपरिया पचरा	भूमिस्वामी	1358	0.10	0.10
293	परमू राजाराम पिता मुल, आगबाई पुत्री मुली साकिन देह	भूमिस्वामी	1165/1	0.12	0.12
294	अमोल पिता मुरलीधर, साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1336/3	0.32	0.16
295	मकुदी, परमोत्तम, संतोष पिस. कमलापत साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1354/3	0.13	0.13
296	सन्धू, लटेरे पिस पकू, केवलारी, हरिटांकर पिता धोकल, इन्द्रेव नाबालिंग वल्ड महादेव वली व स्थयो माँ तुलसाबाई वेवा महादेव साकिन देह, सुब्दरसीन पिता हरवण, पूरन, हरिया पिता पूजारी	भूमिस्वामी	1359	0.12	0.12
297	मकुदी वल्ड कमल कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1364/2	0.36	0.36
298	दरियाव पिता दुर्गा कुर्मी साकिन केवलारी	भूमिस्वामी	1318	0.11	0.11
		भूमिस्वामी	1320/1	0.12	0.12
		योग ..	690 किता	339.84	344.06

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नवका (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

क्र. 81-2016-एलए-4648 (ए)

खण्डवा, दिनांक 25 मार्च 2017

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म0प्र0शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म0प्र0राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” जारी की गयी है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग लो0नि0वि परिसर, ओल्ड पलासिया इन्डौर को खण्डवा जिले के डुल्हार, पंधाना व्हाया रोशनहार मार्ग के कि0मी0 4/10 में जलमग्नीय पुल निर्माण में आने वाली ग्राम सिल्टीया के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो

वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवसों की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

### आपसी सहमति से क्य की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला-खण्डवा, तहसील-पंधाना प0ह0न0 22 रानी0म पंधाना ग्राम-सिलटीया राजस्व निरीक्षक मण्डल पंधाना कुल रकबा 0.040 हैक्टर

क	भू धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हैक्टर में	प्रभावित रकबा हैक्टर में	सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	अन्य संपत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री तिलोकचंद पिता कालूसा निवासी ग्राम पंधाना	26	0-760	0-040	=	0.040	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वाति मीणा नायक, कलेक्टर,

### **विभाग प्रमुखों के आदेश**

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल  
विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्र. 1543.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1/2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा, दिनांक 25-28 जुलाई 2016 तक आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25 जुलाई 2016 को प्रथम-प्रक्रिया दिनांक 26 जुलाई 2016 को द्वितीय-लेखा दिनांक 27 जुलाई 2016 को तृतीय सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25 जुलाई 2016 को प्रथम वन विधि, दिनांक 26 जुलाई 2016 को द्वितीय-सामान्य विधि तथा दिनांक 27 जुलाई 2016 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

### **वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम**

अनु-क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	विषय
(1)	(2)	(3)	(4)
भोपाल संभाग			
1	श्री बृजेन्द्र सिंह जावरिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
2	श्री अरविन्द चौहान	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
3	श्री घनेन्द्र वैद्य	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
4	श्री एम. एल. मिश्र	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
5	श्री के. के. यादव	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
6	श्री आर. के. नामदेव	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा

(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्री पी. के. सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
8	श्री आर. पी. अहिरवार	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
9	श्री एम. एस. वाडिवा	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
10	श्री घनेन्द्र वैद्य	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
11	श्री एम. एल. मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
12	श्रीमती प्रीती काकोड़िया	बनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
13	श्री आर. बी. यादव	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
14	श्री के. के. यादव	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
15	श्री गोपाल सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
16	श्री आर. के. लिल्होरे	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
17	श्री एम. के. श्रीवास्तव	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
18	श्री आर. एन. खरे	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
19	श्रीमती तारिका मौर्य	बनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
20	श्री बृजेन्द्र सिंह जावरिया	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
21	श्री घनेन्द्र वैद्य	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
22	श्री एम. एल. मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
23	श्री आर. बी. यादव	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
24	श्री के. के. यादव	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
25	श्री एम. के. श्रीवास्तव	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि

### गवालियर संभाग

26	श्री जय प्रकाश मिश्रा	बनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
27	श्री जय प्रकाश मिश्रा	श्री जयप्रकाश मिश्रा	द्वितीय-लेखा
28	श्री आनंद शिवहरे	श्री आनंद शिवहरे	द्वितीय-लेखा
29	श्री जय प्रकाश मिश्रा	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि

### जबलपुर संभाग

30	श्रीमती सोनम गडपाल	बनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
31	श्रीमती मनीषा कौरव	बनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
32	श्रीमती भावना शर्मा	बनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
33	श्री आर. पी. मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
34	श्री एस.एस. मरावी	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
35	श्री डी. पी. मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
36	श्री अमर सिंह मरावी	बनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
37	श्री पण्ठ सिंह वास्केल	प्रशिक्षु बनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
38	श्री डी. पी. कुशरो	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
39	श्री ए. एस. धुर्वे	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
40	श्री बी. एल. मरावी	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
41	श्री एम. के. मेहरा	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
42	श्री आर. सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
43	श्री एम. एस. उड्के	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
44	श्री पण्ठ सिंह वास्केल	प्रशिक्षु बनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि

### सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम भोपाल संभाग

1	श्रीमती दीपिका मिंज	बनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
2	श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार	बनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
3	श्री प्रमोद चोपडे	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
4	श्रीमती प्रीती काकोड़िया	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्रीमती दीपिका मिंज	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
6	श्री शिवपाल पिपरदे	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
7	श्री रघुवंश कुमार सिंह	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
8	श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
9	श्री मनोज कुमार जाटव	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
10	श्री सुनील कुमार वर्मा	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

## गवालियर संभाग

11	श्री पी. डी. पचौरी	बनक्षेत्रपाल	प्रथम-बन विधि
12	श्रीमती जया पाण्डेय	सहायक बन संरक्षक	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
13	श्री आनंद शिवहरे	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
14	श्री पी. डी. पचौरी	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

## जबलपुर संभाग

15	प्रीति शाक्या	बनक्षेत्रपाल	प्रथम-बन विधि
16	श्री प्रदीप श्रीवास्तव	उप प्रबंधक	प्रथम-बन विधि
17	श्री अंकुर अवधिया	परिवीक्षाधीन भा.व.से.	द्वितीय-सामान्य विधि
18	प्रीति शाक्या	बनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
19	श्रीमती मनीषा कौरव	बनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
20	श्री अवधेश धाकड़	बनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
21	श्री अंकुर अवधिया	परिवीक्षाधीन भा.व.से.	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
22	प्रीति शाक्या	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
23	श्रीमती सोनम गड़पाल	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
24	श्री विष्णु कुमार पटेल	प्रशिक्षु भा.व.से.	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
25	श्री प्रदीप मिश्रा	प्रशिक्षु भा.व.से.	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
26	श्री इदेश अचाले	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
27	श्री शिशुपाल अहिरवार	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
28	श्रीमती मनीषा कौरव	बनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

ए. के. जैन, अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्रमांक 17591-व.लि.-1-16.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2/1999/एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. रामराव भोंसले, कलेक्टर, नरसिंहपुर वर्ष 2017 में नरसिंहपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	17 मार्च 2017	शुक्रवार	रंगपंचमी पर्व
2	8 अगस्त 2017	मंगलवार	कजलियां पर्व
3	28 सितम्बर 2017	गुरुवार	दुर्गा अष्टमी

उक्त अवकाश कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होगा।

रामराव भोंसले, कलेक्टर,

**कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश**  
**सिंगरौली, दिनांक 10 मार्च 2017**

क्रमांक 231-आर.डी.एम.2017.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2(क)/9/08-बी-3/दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का सं. 02) की धारा 02 के खण्ड (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 27 फरवरी 2017 के अनुक्रम में मैं, शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, एतद्वारा वर्तमान में सिंगरौली जिले के पुलिस थाना जियावन में सम्मिलित नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को वर्तमान पुलिस थाना जियावन से विलोपित किया जाकर, थाना सरई के अन्तर्गत संचालित पुलिस चौकी तिनगुड़ी की अधिकारिता में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचित करता हूँ:—

**अनुसूची**

वर्तमान पुलिस थाना (1)	ग्राम का नाम (2)	प्रस्तावित पुलिस थाना/पुलिस चौकी (3)
थाना जियावन, जिला सिंगरौली	1. देवरा 2. छंदना 3. कोल्हुआ 4. मुड़वा 5. पुरानी देवसर	पुलिस चौकी तिनगुड़ी, थाना सरई, जिला सिंगरौली

No. 231-RDM-Expl-2017.—In exercise of the powers conferred by Madhya Pradesh Government *vide* order No. F-2 (ka) 9-08-B-3-II, Bhopal, dated 30th July, 2010 & clause (S) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and under the approval of District Level Committee dated 27th February 2017, I, Shivnarayan Singh Chauhan, Collector & District Magistrate Singrauli hereby, declare the villages specified in column (2) of the Schedule below having Present jurisdiction Police Station Jiyawan, District Singrauli to proposed Police post Out Tingudi, Police Station Sarai, District Singrauli (M.P.):—

**SCHEDULE**

Present Police Station (1)	Name of Villages (2)	Proposed Police Station/Police Out Post (3)
Police Station Jiyawan, District Singrauli (M.P.)	1. Devara 2. Chhandna 3. Kolhuua 4. Mudwa 5. Purani Devasar	Police Out Post Tingudi, Police Station Sarai, District Singrauli (M.P.).

क्रमांक 232-आर.डी.एम.2017.—पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक/पु.अ./सिंगरौली/एसी/एम-718-2017, दिनांक 16 जनवरी 2017 के माध्यम से जिला योजना समिति के अनुमोदन दिनांक 29 दिसम्बर 2016 के पालन में पुलिस थाना जियावन के ग्राम देवरा, छंदना, कोल्हुआ, मुड़वा एवं पुरानी देवसर को वर्तमान थाना क्षेत्र जियावन से विलोपित किया जाकर, पुलिस चौकी तिनगुड़ी, पुलिस थाना सरई में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27 फरवरी 2017 के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतएव उपरोक्त प्रस्ताव एवं जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-2 (क) 9-08-बी-3/दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस थाना जियावन के ग्राम देवरा, छंदना, कोल्हुआ, मुड़वा एवं पुरानी देवसर को वर्तमान थाना जियावन के क्षेत्राधिकार से विलोपित किया जाकर, पुलिस चौकी तिनगुड़ी, पुलिस थाना सरई, जिला सिंगरौली के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाता है।

क्रमांक 236—आर.डी.एम.2017.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का सं. 02) की धारा 02 के खण्ड (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 27 फरवरी 2017 के अनुक्रम में मैं, शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, एतद्वारा वर्तमान में सिंगरौली जिले के पुलिस थाना माड़ा में सम्मिलित नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को वर्तमान पुलिस थाना माड़ा से विलोपित किया जाकर, थाना वैढ़न के अन्तर्गत संचालित पुलिस चौकी सासन की अधिकारिता में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचित करता हूँ:—

### अनुसूची

वर्तमान पुलिस थाना (1)	ग्राम का नाम (2)	प्रस्तावित पुलिस थाना/पुलिस चौकी (3)
थाना माड़ा, जिला सिंगरौली	1. चांचर 2. बसौड़ा 3. मझौली 4. परसदेही 5. सेमरिया 6. मकरोहर 7. झांझीटोला 8. सरईझर	पुलिस चौकी सासन, थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली

No. 236-RDM-Explo-2017.—In exercise of the powers conferred by Madhya Pradesh Government *vide* order No. F-2 (ka) 9-08-B-3-II, Bhopal, dated 30th July 2010 & clause (S) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and under the approval of District Level Committee dated 27th February 2017, I, Shivnarayan Singh Chauhan, Collector & District Magistrate Singrauli hereby, declare the villages specified in column (2) of the Schedule below having Per sent jurisdiction Police Station Mada, District Singrauli to proposed Police Out post Sasan, Police Station Waidhan, District Singrauli (M.P.):—

### SCHEDULE

Present Police Station (1)	Name of Villages (2)	Proposed Police Station/Police Out Post (3)
Police Station Mada, District Singrauli (M.P.)	1. Chachar 2. Basauda 3. Majhauli 4. Parsdehi 5. Semariya 6. Makrohar 7. Jhajhitola 8. Saraijhar	Police Out Post Sasan, Police Station Waidhan, District Singrauli (M.P.).

क्रमांक 237—आर.डी.एम.2017.—पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक/पु.अ./सिंगरौली/एसी/एम-719-2017, दिनांक 16 जनवरी 2017 के माध्यम से जिला योजना समिति के अनुमोदन दिनांक 29 दिसम्बर 2016 के पालन में पुलिस थाना माड़ा के ग्राम चांचर, बसौड़ा, मझौली, परसदेही, सेमरिया, मकरोहर, सरईझर एवं झांझीटोला को वर्तमान थाना क्षेत्र माड़ा से विलोपित किया जाकर, पुलिस चौकी सासन पुलिस थाना वैढ़न में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27 फरवरी 2017 के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतएव उपरोक्त प्रस्ताव एवं जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2 (क) 9-08-बी-3/दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस थाना माड़ा के ग्राम चांचर, बसौड़ा, मझौली, परसदेही, सेमरिया, मकरोहर, झांझीटोला, एवं सरईझर को वर्तमान थाना क्षेत्र माड़ा के क्षेत्राधिकार से विलोपित किया जाकर, पुलिस चौकी सासन, पुलिस थाना वैढ़न जिला सिंगरौली के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव।

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

छतरपुर, दिनांक 25 मार्च 2017

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
छतरपुर	छतरपुर	पठादा	07.800	अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर.	तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
छतरपुर	छतरपुर	अचटट	02.750	अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर.	तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। कि राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	बोंडा	05.900	अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर.	तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	ईशानगर	07.080	अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर.	तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 05-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	सीगौन	01.700	अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर.	तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 06-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)	(2)	(3)
छतरपुर	छतरपुर	दऊअन पुरवा	01.700	अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध परियोजना की नहर	निर्माण हेतु पूरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17-1321.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 11 उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)	(2)	(3)
शहडोल	जयसिंहनगर	मैरटोला	1.846	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर,	ओदारी डायवर्सन योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 14-अ-82-2016-17-1322.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम,

2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	लुकामटोला	0.669	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, शहडोल संभाग, क्रमांक 2, शहडोल म. प्र.	ओदारी डायवर्सन योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 8-अ-82-2016-17-1325.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	पोडी	2.952	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, शहडोल म. प्र.	ओदारी डायवर्सन योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 13-अ-82-2016-17-1326.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	सरदपुर	8.201	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, शहडोल म. प्र.	ओदारी डायवर्सन योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 9-अ-82-2016-17-1327.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लागभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	पतेरियाटोला	2.196	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, शहडोल म. प्र.	ओदारी डायवर्सन योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 अप्रैल 2017

पत्र क्र. 588-प्रशा.-भू-अर्जन.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लागभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	हिनोती	14.00	कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2017

प्र. क्र. 05-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			लगभग	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ग्वालियर	ग्वालियर	गुन्धारा	258/4	0.040	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला नहर संभाग क्रमांक-2 डबरा, जिला माता शाखा नहर की 1 आर मायनर ग्वालियर.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
योग . .			0.040			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 1 अप्रैल 2017

क्र. 89-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास

- (ग) ग्राम—पड़ौनियाखुर्द  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—पड़ौनियाकला नं.-74  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.422 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
(1)	(2)		
7	0.236	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
6	0.078	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
78/1, 78/2, 78/3	0.061		
2/1	0.022		
2/2	0.025		
निजी भूमि का योग .	<u>0.422</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 91-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में चर्चित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्वावास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—गोपद बनास  
 (ग) ग्राम—खजुरी  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बेन्दुआ नं.-83,  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.868 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
(1)	(2)		
458	0.100	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
464/1233	0.016	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु
461	0.040		
462	0.001		
463	0.004		
459	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)
478	0.015	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
460	0.033	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
477/1	0.050		
476	0.141		
475	0.060		
473	0.009		
472	0.003		
474	0.038		
486	0.024		
487	0.140		
488	0.030		
489	0.070		
503	0.090		
492	0.010		
502	0.032		
501	0.050		
499	0.009		
543	0.059		
500	0.050		
544	0.100		
546	0.082		
494	0.022		
560	0.129		
563	0.142		
582	0.010		
581	0.070		
580	0.179		
579	0.007		
578	0.058		
576	0.020		
577	0.019		
584/1235/1	0.014		
584/1235/2	0.010		
575	0.143		
574	0.083		
744	0.107		
746	0.060		
747	0.030		
573	0.022		
749	0.015		
748	0.045		
770	0.005		
769	0.012		
768	0.020		
774	0.048		

(1)	(2)	(3)	(4)
766	0.100	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के
767	0.040	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
765	0.077		
775	0.060		
776	0.020		
777	0.012		
778	0.030		
779	0.230		
780	0.330		
794	0.102		
795	0.010		
793	0.160		
792	0.100		
796	0.010		
745	0.002		
781	0.016		
564	0.003		
निजी भूमि का योग . .	<u>3.868</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 93-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) ग्राम—कोतरकला
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—सीधी गिर्द नं.-71,
- (ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 5.855 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
----------	--	--------------------------------------	----------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)
62	0.382	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के
70	0.010	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)
71	0.122	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के
63	0.001	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
75	0.248		
78	0.062		
77	0.160		
80	0.085		
89	0.020		
90	0.010		
88	0.034		
87	0.129		
86	0.116		
85	0.053		
42	0.132		
91	0.962		
84	0.052		
83	0.048		
17	0.158		
16	0.021		
19	0.042		
15	0.162		
20	0.064		
14	0.282		
8	0.847		
9	0.545		
7	0.340		
6	0.220		
2	0.548		
निजी भूमि का योग . .	5.855		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 95-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संब्यवहार नहीं करेगा, या कोई संब्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास

- (ग) ग्राम—गाडा बबन सिंह  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—गाडा बबन सिंह नं.-73  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 16.069 हे.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
(1)	(2)		
837/1	0.045	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	
837/2	0.120	मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
837/3	0.140		
837/4	0.010		
848/1	0.010		
848/2	0.025		
848/3	0.022		
849	0.028		
850	0.335		
866	0.067		
867	0.069		
868/1	0.040		
868/2	0.039		
871/1	0.020		
871/2	0.038		
872	0.065		
874	0.019		
873/1	0.010		
873/2	0.040		
878/1	0.020		
878/2	0.020		
878/3	0.020		
878/4	0.017		
879/1	0.020		
879/2	0.006		
880	0.044		
881	0.047		
887	0.037		
889/3	0.030		
891	0.103		
893	0.076		
894/1	0.013		
894/2	0.030		
896	0.076		
897	0.093		
899	0.520		
1016	0.550		
1020/1	0.122		
1020/2	0.035		

(1)	(2)	(3)	(4)
1112/1	0.477	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
1112/2	0.279	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
1111/1	0.730		
1111/2	0.082		
1105	0.100		
1106	0.013		
1024	0.063		
1104/1	1.196		
1104/2	0.260		
1025/2	0.045		
1025/3	0.058		
1037/1	0.030		
1037/2	0.040		
1038	0.020		
1039/1	0.190		
1039/2	0.040		
1040	0.907		
1103/1	0.843		
1103/2	0.110		
1103/3	0.260		
1041	0.070		
1043	0.188		
1102	1.298		
1042	0.211		
1074	0.160		
1075	0.103		
1076	0.138		
1201/1	0.089		
1101/1	0.080		
1101/2	0.245		
1099	0.250		
1100	0.032		
1098	0.030		
1097/1	0.210		
1097/2	0.210		
1096/1	0.610		
1096/2	0.040		
1077	0.510		
1093	0.823		
1078	0.041		
1095	0.190		
1094	0.060		
1092	0.060		
1089	0.010		
1090	0.550		

(1)	(2)	(3)	(4)
1084	0.010	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
1083	0.112	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
1079/2	0.007		
1081/1	0.310		
1081/2/1	0.270		
1081/2/2	0.040		
1284	0.080		
1021	0.036		
1085	0.197		
1268	0.035		
निजी भूमि का योग .	<u>16.069</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 97-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) ग्राम—कोठार
- (घ) पटवारी हल्का, का नाम व नम्बर—कोठार नं.-77
- (ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 10.135 हे.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
396	1.662	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
395	0.060	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
397/1	0.440		
397/2	0.122		
389/3	0.016		
389/4	0.020		
388/1	0.034		
398	0.300		

(1)	(2)	(3)	(4)
399/1	0.090	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
399/2	0.151		
545	0.616		
400	0.090		
401	1.610		
402	0.003*		
403	0.567		
534	0.254		
537	0.217		
536	0.100		
535	0.120		
533	0.033		
530	0.401		
524	0.012		
529	0.178		
526	0.017		
525	0.005		
527	0.070		
528	0.036		
597	0.023		
609	0.040		
605	0.030		
604	0.024		
606	0.062		
608	0.110		
607	0.005		
616	0.178		
617	0.115		
634/1	0.050		
634/2	0.092		
633	0.094		
632	0.010		
782/1	0.105		
782/2	0.105		
782/3	0.106		
782/4	0.106		
782/5	0.106		
782/6	0.106		
782/7	0.106		
779/7	0.010		
779/8	0.080		
784	0.047		
808	1.015		
809	0.046		
394	0.081		

(1)	(2)	(3)	(4)
610/4	0.049	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
405/3	0.010	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
निजी भूमि का योग . .	<u>10.135</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 99-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) ग्राम—कोटहा
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—मडवा नं.-82,
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.899 हेक्टर।

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)

31/88	0.006	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
32	0.005	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
33	0.050		
43	0.007		
50	0.010		
42	0.030		
35/1	0.213		
41/1	0.458		
40/1	0.120		
निजी भूमि का योग . .	<u>0.899</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 101-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं

करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सौधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) ग्राम—मुगवारी
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—मडवा नं.-82,
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 4.587 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
5/1/1	0.110	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर।	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु।
5/1/2	0.030		
5/1/3	0.030		
5/1/4	0.030		
5/2	0.034		
5/3	0.038		
5/4	0.110		
5/5	0.040		
5/6	0.110		
5/7	0.040		
5/8	0.100		
6/3	0.020		
6/4	0.020		
6/5	0.020		
6/6	0.020		
6/मिन-1	0.420		
10/1	0.075		
10/2	0.010		
11/1	0.025		
11/2	0.032		
11/3	0.040		
11/4	0.051		
20/1	0.051		
20/2	0.016		
19/1	0.008		
19/2	0.010		
23/2	0.280		
23/मिन-1	0.034		

(1)	(2)	(3)	(4)
23/4	0.010	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
23/5	0.010		
23/6	0.020		
23/7	0.038		
23/मिन-1	0.031		
23/मिन-2	0.070		
23/मिन-3	0.070		
25	0.040		
24	0.006		
32	0.009		
33	0.177		
34	0.120		
35	0.102		
39	0.181		
40	0.031		
79	0.017		
78/1	0.080		
78/2	0.050		
77	0.040		
82	0.091		
81	0.050		
89/1	0.030		
89/2	0.015		
89/3	0.015		
89/4	0.015		
89/5	0.015		
89/6	0.015		
83/1	0.020		
83/2	0.020		
87	0.030		
88	0.140		
203/1/1	0.020		
203/1/2	0.020		
203/1/3	0.020		
203/1/4	0.020		
203/1/5	0.020		
203/1/6	0.020		
203/2	0.040		
201	0.102		
205	0.040		
206	0.050		
200/1	0.040		
200/2	0.030		
200/3	0.030		
200/4	0.030		

(1)	(2)	(3)	(4)
214	0.060	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
212	0.060	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
250/1	0.050		
254	0.110		
253	0.430		
7	0.002		
31	0.001		
80	0.030		
निजी भूमि का योग .	<u>4.587</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 103-भू-अर्जन-2017.—चौंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संच्छा में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) ग्राम—विसैधाटोला
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—जोगीपुर नं.-76,
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 5.251 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
9/4	0.140	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
13	0.142	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
14	0.075		
15	0.018		
22	0.011		
23	0.031		
24	0.005		
48	0.054		
51	0.160		
55	0.239		
65	0.076		
66	0.137		

(1)	(2)	(3)	(4)
67	0.185	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
68	0.090	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
77	0.257		
78/2	0.012		
78/मिन-1	0.020		
88	0.040		
87	0.002		
90	0.108		
89	0.116		
72	0.240		
91	0.063		
92	0.453		
112	0.002		
111	0.035		
113	0.120		
114	0.056		
115	0.038		
116	0.030		
117	0.050		
284/1/2	0.013		
284/1/3	0.014		
284/2/2	0.014		
284/2/3	0.015		
284/2/4	0.015		
284/3	0.046		
284/4/2	0.015		
284/मिन-1	0.022		
284/मिन-2	0.012		
284/मिन-4	0.020		
285/1	0.046		
285/2/2	0.013		
285/3	0.046		
285/4	0.015		
285/मिन-2	0.032		
286/1	0.009		
286/2	0.009		
286/3	0.009		
286/4	0.008		
286/5	0.008		
286/6	0.008		
286/7	0.008		
287/1	0.032		
287/2	0.095		
287/3	0.095		
287/4	0.095		

(1)	(2)	(3)	(4)
288/1/1	0.035	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
288/1/2	0.095	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
288/1/3	0.095		
288/1/4	0.095		
288/2	0.001		
289	0.135		
290	0.062		
291	0.067		
297	0.060		
298	0.110		
293	0.082		
299	0.114		
300	0.100		
301	0.067		
302	0.042		
303	0.030		
79	0.012		
74	0.040		
75/2	0.004		
75/मिन-1	0.046		
73	0.150		
76	0.090		
निजी भूमि का योग .	<u>5.251</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 105-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल-लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास

- (ग) ग्राम—गाडा लोलर सिंह,  
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—गाडा लोलर सिंह नं.-78  
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 7.113 हे.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
1182/2/2	0.020	उपमुख्य अधिकारी (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के
1182/2/3	0.020	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
1182/2/4	0.010		
1182/मिन-2	0.170		
1178/1	0.155		
1178/2/1	0.435		
1178/2/2	0.080		
1178/2/3	0.080		
1178/2/4	0.080		
1178/2/5	0.080		
1178/3	0.120		
1177	0.010		
1174/1	0.267		
1174/2	0.167		
1174/3	0.167		
1174/4	0.337		
1174/5	0.028		
1174/6	0.028		
1175	0.010		
1172	0.013		
1173	0.030		
1171	0.451		
1224	0.040		
1222	0.600		
1225	0.631		
1226	1.747		
1229	1.097		
1227	0.080		
1228	0.020		
1179/1	0.005		
1179/2	0.025		
1217	0.050		
1223	0.060		
निजी भूमि का योग .	<u>7.113</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपचण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 107-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना

के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संबंधवाहर नहीं करेगा, या कोई संबंधवाहर नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) ग्राम—उपनी
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—उपनी नं.-84
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.832 हे.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
(1)	(2)	(3)	(4)
133	0.048	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
134	0.030	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु।
135	0.020		
224	0.042		
219	0.001		
144	0.004		
137	0.084		
138	0.050		
139	0.150		
140	0.036		
141/1	0.042		
142/2	0.050		
141/3	0.080		
142/1	0.080		
142/2	0.060		
142/3	0.044		
143	0.050		
154	0.110		
156	0.006		
155	0.035		
148/1	0.060		
148/2	0.046		
149	0.083		
150	0.046		
152/1	0.010		
152/2	0.009		
153/2	0.060		
153/3	0.064		

(1)	(2)	(3)	(4)
170	0.116	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
171	0.126	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
168	0.003		
176	0.132		
167	0.096		
166	0.162		
178	0.048		
165	0.012		
179	0.422		
180/1	0.032		
180/2	0.060		
180/3	0.040		
189/1	0.044		
189/2	0.010		
189/3	0.100		
189/4	0.100		
189/5	0.080		
191	0.002		
188	0.014		
103	0.105		
190	0.063		
101	0.028		
102/1	0.169		
102/2	0.080		
102/3	0.020		
105/1	0.040		
99	0.178		
98	0.070		
97	0.080		
निजी भूमि का योग	<u>3.832</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 109-भू-अर्जन-2017.—चौंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैः—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णनः—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—मझगवां
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—रघुनाथपुर
- (ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.498 है।

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
1097/1	0.912	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
1098/1	0.032	मध्य रेलवे जबलपुर।	निर्माण हेतु।
1100/1	0.459		
1090	0.036		
1087	0.001		
1099/1	0.058		
निजी भूमि का योग . .	<u>1.498</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 111-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैः—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णनः—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—बघवार
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बघवार
- (ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 6.767 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
740	1.508	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
739	0.111	मध्य रेलवे जबलपुर।	निर्माण हेतु।
737	0.120		
711/1, 711/2	0.130		

(1)	(2)	(3)	(4)
712	0.022	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगराली रेल लाईन के
738	0.072	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
713	0.717		
714	0.068		
715/1, 715/2/1,	0.315		
715/2/2			
716/1, 716/2	0.164		
718/1, 718/2	0.044		
717	0.013		
705/1, 705/2/1,	0.027		
705/2/2			
704/1/1/1			
704/1/1/2			
704/1/2			
704/2/1			
704/2/1/1/1/2			
704/2/1/1/2	0.481		
704/2/1/1/3			
704/2/1/1/4			
704/2/1/2			
704/2/2			
704/2/2/1			
704/2/2/2			
703/1/1/1/1			
703/1/1/1/2			
703/1/1/2			
703/1/2/1/1	0.564		
703/1/2/1/2			
703/1/2/2			
703/2			
722/1/1			
722/1/2	0.231		
722/1/3			
722/2/1			
722/2/2			
700/1, 700/2	0.045		
697/1, 697/2, 697/3	0.030		
702	0.284		

(1)	(2)	(3)	(4)
860	0.030	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के
862	0.037	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
863	0.065		
864/1/1/1			
864/1/1/2			
864/1/1/3			
864/1/1/4			
864/1/1/5			
864/1/2			
864/1/3			
864/1/4			
864/1/5			
864/1/2/1/1/1			
864/1/2/1/2	1.008		
864/1/2/2			
864/1/3			
864/2/1/1			
864/2/1/2			
864/2/2			
864/3			
864/4			
864/5			
864/6			
864/7			
864/8			
864/9			
864/10			
890	0.041		
891	0.061		
892	0.004		
894	0.348		
896	0.093		
889	0.022		
881	0.005		
706/1, 706/2	0.107		
निजी भूमि का योग . .	<u>6.767</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 113-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णनः—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—मझियार
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—अगडाल
- (ङ) निजी भूमि का अंरित क्षेत्रफल—रकबा 2.220 हे.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
(1)	(2)	(3)	
53	0.029	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
54	0.012	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु।
57	0.127		
58/1	0.320		
59/1/1, 59/1/2	0.645		
60/1	0.005		
92	0.160		
61/1/1, 61/1/2	0.089		
62	0.078		
63/1	0.105		
37/1, 37/2	0.101		
36/1	0.022		
27	0.079		
32	0.010		
33/1	0.007		
34/1	0.002		
31	0.164		
29	0.047		
93	0.201		
30	0.010		
28	0.007		
निजी भूमि का योग . .	<u>2.220</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपर्युक्त अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 115-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—नैकिन
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—नैकिन
- (ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 18.204 हे.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
400/1/1/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
400/1/1/2			
400/1/2/1/1			
400/1/2/2			
400/1/2/3			
400/1/2/4			
400/1/2/5	0.360		
400/1/2/6			
400/1/2/7			
400/1/2/8			
400/1/2/9			
400/1/2/10			
400/1/2/11			
400/1/3			
400/2			
398/1/1/1/1			
398/1/1/1/2			
398/1/1/1/3	0.094		
398/1/1/2			
398/1/2			
398/2			
401/1	0.050		
401/2	0.050		
401/3	0.070		
403	0.060		
402	0.03		
404	0.014		
405	0.016		
412	0.050		
411	0.004		

(1)	(2)	(3)	(4)
413	0.781		
410	0.170	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	
409/1	0.100	मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगराँडी रेल लाईन के निर्माण हेतु.
409/2	0.311		
443	0.152		
463/1/1			
463/1/2			
463/1/3			
463/1/4	0.981		
463/1/5			
463/1/6			
463/2	0.088		
462	0.049		
445	0.284		
444	0.016		
447/1/1			
447/1/2			
447/2	0.278		
447/3			
447/4			
449/1/1			
449/1/2	0.375		
449/2			
449/3			
449/4			
449/5			
451/1			
451/2			
451/3	0.163		
451/4			
452/1			
452/2			
452/3			
452/4	0.166		
452/5			
452/6			
452/7			
450	0.565		
2341/1/1			
2341/1/2			
2341/1/3	0.382		
2341/1/4			
2341/2			

(1)	(2)	(3)	(4)
2342/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण हेतु.
2342/2			
2342/3			
2342/4			
2342/5	0.091		
2342/6/1			
2342/6/2			
2342/7/1			
2342/7/2			
2359/1			
2359/2			
2359/3	0.104		
2359/4			
2359/5			
2338/1			
2338/2			
2338/3	0.344		
2338/4			
2338/5			
2337/1			
2337/2			
2337/3	0.067		
2337/4/1			
2337/4/2			
2337/4/3			
2360	0.054		
2358	0.026		
2357/1			
2357/2			
2357/3/1			
2357/3/2			
2357/4/1/1/1			
2357/4/1/1/2			
2357/4/1/1/3	0.438		
2357/4/1/1/4			
2357/4/1/2			
2357/4/2			
2357/4/3			
2357/4/4			
2356/1			
2356/2	0.005		
2356/3			

(1)	(2)	(3)	(4)
2490/1			
2490/2	0.104	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगराँली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2490/3			
2489/1			
2489/2	0.037		
2489/3			
2491/1			
2491/2	0.081		
2491/3			
2493/1			
2493/2	0.129		
2493/3			
2352/1			
2352/2	0.020		
2352/3			
2354/1			
2354/2			
2354/3	0.009		
2354/4			
2354/5			
2496	0.314		
2495	0.368		
2497	0.021		
2510/1, 2510/2	0.424		
2509/1, 2509/2	0.016		
2508/1			
2508/2/1			
2508/2/2			
2508/2/3	0.078		
2511/1			
2511/2/1			
2511/2/2/1	0.189		
2511/2/2/2			
2511/2/3			
2507	0.153		
2534	0.444		
2537	0.140		
2872	0.180		
2873/1			
2873/2			
2873/3	0.154		
2873/4			
2873/5			
2918	0.277		

(1)	(2)	(3)	(4)
2919/1	0.018		
2919/2	0.002	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	
2919/3	0.002	मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगराँली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2919/4	0.002		
2919/5	0.002		
2919/6	0.002		
2919/7	0.002		
2921/1			
2921/2			
2921/3			
2921/4	0.017		
2921/5			
2921/6			
2921/7			
2780	0.070		
2920/1			
2920/2			
2920/3			
2920/4	0.074		
2920/5			
2920/6			
2920/7			
2917	0.093		
2914	0.010		
2915	0.010		
2908	0.010		
2912	0.03		
2916	0.010		
2909	0.030		
2910	0.020		
2911	0.030		
2913	0.060		
2922/1			
2922/2			
2922/3			
2922/4	0.065		
2922/5			
2922/6			
2922/7			
3064	0.030		
3062	0.074		
3065/1			
3065/2/1			
3065/2/2	0.307		
3065/2/3			
3065/3			
3065/4			

(1)	(2)	(3)	(4)
3061/1/1			
3061/1/2	0.303	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगराँली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
3061/1/3			
3061/1/4			
2932/1	0.173		
2933/1	0.071		
2935/1	0.220		
2936	0.013		
2938/1	0.044		
2941/1	0.142		
2940/1/1, 2940/1/2	0.070		
3001/1, 3001/2	0.047		
2942	0.050		
2944/1	0.173		
2943/1/1	0.173		
2782/1	0.153		
2783	0.076		
2779	0.070		
2696	0.087		
2700	0.136		
2697	0.028		
2694	0.257		
2695	0.040		
2947/1/1	2.025		
2947/1/2, 2947/2/1			
2948/1/1, 2948/1/2	0.019		
2948/2	0.100		
2692	0.219		
2690	0.050		
2691	0.032		
2784	0.097		
2937/1	0.237		
2693	1.251		
2946/1	0.394		
2781	0.322		
3000/1	0.042		
2929	0.006		
2538	0.004		
446	0.081		
3034/1	0.060		

(1)	(2)	(3)	(4)
3063	0.002	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
2488/2/2	0.001		
2533	0.002		
2689	0.001		
2934/1	0.024		
2698	0.005		
निजी भूमि का योग .	<u>18.204</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 117-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्ववास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सूजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—रघुनाथपुर
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—रघुनाथपुर
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रक्का 15.954 हे.

खसरा नं.	अर्जन हेतु रक्का (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
121	0.012	उपमुख्य अधिकारी (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
122	0.020	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु,
478	0.030		
477	0.284		
476/1	0.048		
481/1	0.447		
492	0.064		
491	0.024		
485	0.100		
484	0.016		
483/1	0.006		
482	0.092		

(1)	(2)	(3)	(4)
473/1	0.020	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगारौली रेल लाईन के
475/1	0.242	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
472/1	0.023		
464	0.114		
127	0.020		
126/1	0.010		
126/2	0.010		
126/3	0.010		
126/4	0.010		
124	0.251		
123	0.081		
120	0.012		
108/1/1			
108/1/2			
108/2	0.040		
108/3			
108/4			
128	0.080		
470	0.033		
471/1	0.153		
125/1	0.060		
125/2	0.060		
125/3	0.070		
125/4	0.070		
129	0.130		
130/1/1/1	0.081		
130/1/1/2	0.010		
130/1/2	0.090		
130/1/3	0.100		
107	0.100		
106/1			
106/2/1	0.005		
106/2/2/1			
106/2/2/2			
135	0.190		
132	0.020		
467	0.037		
469	0.120		
468	0.010		
133/1/1	0.062		
133/1/2	0.070		
133/1/3	0.060		
134/1	0.040		
134/2	0.070		

(1)	(2)	(3)	(4)
136/1	0.030	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के
136/2	0.070	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
160	0.025		
159	0.151		
137/1/1	0.028		
137/1/2	0.030		
137/1/3	0.030		
137/1/4	0.030		
137/1/5/1	0.020		
137/1/5/2	0.010		
137/1/6/1	0.030		
137/1/6/2	0.010		
138/1/1	0.138		
138/1/2	0.010		
140/1	0.157		
142	0.003		
143	0.030		
144	0.008		
158	0.063		
157	0.040		
155	0.050		
156	0.100		
420/1	0.050		
420/2	0.060		
420/3	0.050		
420/4	0.050		
420/5	0.060		
170	0.319		
150/1/1	0.069		
150/1/2	0.010		
150/1/1/2	0.010		
150/1/3	0.009		
150/1/4	0.006		
422/1	0.021		
421/1	0.038		
419/1	0.246		
423/1	0.040		
425/1	0.268		
431/1			
432/2	0.160		
431/3			
146	0.041		
147/1	0.128		
147/2			

(1)	(2)	(3)	(4)
148/1/1	0.060	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
148/1/2	0.052	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
149/1	0.016		
151/1/1	0.040		
151/1/2	0.046		
152/1	0.124		
153/1	0.058		
154	0.040		
430/1	0.018		
430/2			
427	0.012		
413	0.450		
412	0.019		
411	0.160		
410/1/1	0.219		
410/2	0.280		
409	0.060		
403	0.035		
402	0.029		
416/1374/1	0.212		
416	0.021		
426/1	0.270		
417/1	0.030		
418/1	0.316		
414/1	0.162		
415/1	0.067		
272	0.082		
270/1	0.024		
271/1	0.050		
271/2/1	0.052		
273/1	0.066		
273/2			
269	0.120		
279	0.097		
268/1	0.014		
266/1	0.120		
265/1	0.204		
261/1	0.059		
261/2	0.007		
260	0.023		
262	0.594		
278	0.034		
286	0.014		
285	0.063		

(1)	(2)	(3)	(4)
281/1	0.090	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगराली रेल लाईन के
280/1	0.003	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
282/1	0.101		
283/1	0.123		
284	0.018		
290/1	0.112		
289	0.015		
292	0.158		
291/1	0.044		
293/1	0.102		
294/1	0.069		
1059	0.133		
1060	0.012		
263	0.418		
1065	0.061		
1071	0.050		
1064	0.090		
1063	0.060		
1062/1	0.014		
1058	0.021		
295	0.091		
1073/1	0.839		
1074/1	0.297		
1075	0.142		
252/1	0.144		
253/1	1.497		
1072	0.090		
1070	0.270		
1069	0.013		
479	0.030		
141	0.005		
1068	0.018		
निजी भूमि का योग .	<u>15.954</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 119-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—गोड़हा टोला
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बघवार
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 9.360 हे.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
81/मिन. 1	0.294	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
81/2			
69/मिन. 1			
69/2	0.716		
69/3			
68	0.171		
70/1/1/1			
70/1/1/2			
70/1/1/3			
70/1/2/1			
70/1/2/2			
70/1/3/1			
70/1/3/2			
70/1/3/3	1.557		
70/1/4/1			
70/1/4/2			
70/1/4/3			
70/1/5/1			
70/1/5/2			
70/1/5/3			
70/1/5/4			
70/2			
80	0.292		
79	0.002		
71	0.696		
205	0.156		
204	0.280		

(1)	(2)	(3)	(4)
136	0.105	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
137/1			
137/2			
137/3			
137/4			
137/5			
137/6	0.310		
137/7			
137/8			
137/9			
137/10			
137/11			
138/1			
138/2/1			
138/2/2	0.263		
138/3/1			
138/3/2			
139	0.201		
140/1/1/1			
140/1/2			
140/2			
140/3	0.102		
140/4			
140/5			
141/1			
141/2/1	0.092		
141/2/2			
146/1			
146/1/2			
146/1/3			
146/1/4			
146/1/5			
146/1/6			
146/2			
146/3	0.811		
146/4			
146/5			
146/6			
146/7			
146/8			
146/9			
146/10			
147	0.016		
148	0.120		

(1)	(2)	(3)	(4)
127/1, 127/2	0.104	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगराँली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
149/1/1/1			
149/1/1/2			
149/2			
149/3	0.439		
149/4			
149/5			
149/6			
122/1			
122/2/1			
122/2/2			
122/2/3	0.727		
122/2/4			
122/2/5			
122/2/6			
122/2/7			
121/1/1			
121/1/2/1			
121/1/2/2	0.016		
121/1/2/3			
121/2			
119/1			
119/2/1	0.103		
119/2/2			
161	0.104		
162/1			
162/2	1.033		
162/3			
158	0.112		
159	0.012		
120/1/1/1			
120/13			
120/1/2			
120/2			
120/3/1			
120/3/2			
120/4			
120/5	0.526		
120/6			
120/7			
120/8			
120/9			
120/10			
120/11			
120/12			
निजी भूमि का योग . . .	9.360		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 121-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—पड़खुरी पवाई
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—पड़खुरी 588 नं. 35
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 4.048 हे.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
1288	0.100	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के
1289	0.400	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
1290/1			
1290/2	0.038		
1290/3			
1291	0.020		
1295	0.009		
1296	0.037		
1297/1			
1297/2	0.115		
1297/3			
1302/1	0.014		
1302/2			
1303	0.100		
1305	0.100		
1306	0.022		
1314	0.105		
1315	0.078		
1326/1			
1326/2	0.044		
1327/1/1			
1327/1/2	0.226		
1327/2			

(1)	(2)	(3)	(4)
1328	0.052	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
1329	0.001		
1330/1			
1330/2	0.090		
1330/3			
1330/4			
1331	0.114		
1332/1			
1332/2	0.112		
1332/3			
1333	0.039		
1366	0.100		
1371/1/1			
1371/1/2			
1371/2	0.044		
1371/3			
1371/4			
1386	0.130		
1390/1			
1390/2/1	0.588		
1390/2/2			
1390/2/3			
1392	0.089		
1393/1/1			
1393/1/2	0.024		
1393/2			
1396/1	0.030		
1396/2			
1403	0.001		
1404	0.014		
1405/1			
1405/2	0.048		
1406/1/1			
1406/1/2			
1406/1/3			
1406/2	0.236		
1406/3			
1406/4			
1406/5			
1406/6			
1406/7			
1407	0.100		
1408	0.021		
1410	0.342		

(1)	(2)	(3)	(4)
1411	0.015	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
1412/1			
1412/2			
1412/3/1	0.092		
1412/3/2			
1412/3/3			
1413/1, 1413/2	0.172		
1415	0.078		
1416/1, 1416/2	0.057		
1454	0.014		
1391	0.037		
निजी भूमि का योग .	<u>4.048</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 123-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आप जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—चंदैनिया
- (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—चंदैनिया नं. -07
- (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रक्का 2.830 हे.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्का (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
7/1, 7/2	0.137	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
10	0.128		
10/812	0.100		
11	0.073		
12	0.138		
35	0.033		
36	0.021		
37	0.033		

(1)	(2)	(3)	(4)
88	0.118	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम	ललितपुर-सिंगराली रेल लाईन के
89	0.113	मध्य रेलवे जबलपुर.	निर्माण हेतु.
94	0.661		
95	0.095		
96	0.025		
100	0.028		
109/1			
109/2			
109/3	0.068		
109/4/Ka			
109/4/Kha			
110/1/1			
110/1/2			
110/1/3			
110/1/4			
110/1/5	0.370		
110/2/1			
110/2/2			
110/3/1			
110/3/2			
111/1/1			
111/1/2			
111/1/3	0.328		
111/2/1			
111/2/2			
137/1/1			
137/1/2			
137/1/3			
137/1/4	0.317		
137/1/5			
137/1/6			
137/2			
138/1/1			
138/1/2			
138/1/Ka	0.024		
138/1/Kha			
138/2			
140	0.020		

निजी भूमि का योग . . . 2.830

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/सामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अभ्यं वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन**

**उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

**पन्ना, दिनांक 28 फरवरी 2017**

प्र. क्र. 113-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पवई
- (ग) ग्राम—जमनी हल्का नं. 017
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.970 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
421/2	0.040	निजी भूमि			
421/1	0.050	निजी भूमि			
420/1	0.010	निजी भूमि			
420/2	0.010	निजी भूमि			
419	0.010	निजी भूमि			
418	0.020	निजी भूमि			
397	0.270	निजी भूमि			
398	0.010	निजी भूमि			
399	0.010	निजी भूमि			
391/1	0.140	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)
391/2	0.080	निजी भूमि
392/1	0.020	निजी भूमि
389	0.010	निजी भूमि
370/1/ Ka	0.070	निजी भूमि
370/1/ Kha	0.070	निजी भूमि
371/1	0.010	निजी भूमि
353	0.020	निजी भूमि
352	0.020	निजी भूमि
344	0.100	निजी भूमि
345/1	0.170	निजी भूमि
346/1	0.010	निजी भूमि
309	0.060	निजी भूमि
310	0.050	निजी भूमि
313	0.020	निजी भूमि
314	0.020	निजी भूमि
293	0.070	निजी भूमि
294	0.160	निजी भूमि
295	0.010	निजी भूमि
269/1	0.110	निजी भूमि
269/424	0.080	निजी भूमि
268	0.010	निजी भूमि
238	0.080	निजी भूमि
239	0.020	निजी भूमि
216	0.010	निजी भूमि
214	0.090	निजी भूमि
213	0.010	निजी भूमि
212/1	0.020	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 1.970

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 114-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पवई
- (ग) ग्राम—सिमरिया गुलाबसिंह हल्का नं. 016
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.860 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
404/1	0.030	निजी भूमि
404/2	0.030	निजी भूमि
412/1	0.100	निजी भूमि
412/2	0.040	निजी भूमि
426	0.010	निजी भूमि
422	0.170	निजी भूमि
421/1	0.120	निजी भूमि
644	0.110	निजी भूमि
645	0.010	निजी भूमि
646	0.080	निजी भूमि
648	0.100	निजी भूमि
649	0.060	निजी भूमि
<u>कुल रकबा निजी भूमि</u>		<u>0.860</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 115-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय—सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पवई
- (ग) ग्राम—नरगी, प.ह.नं. 0.014
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.580 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
824	0.030	निजी भूमि
823	0.060	निजी भूमि
822	0.030	निजी भूमि
821	0.080	निजी भूमि
820	0.040	निजी भूमि
813	0.040	निजी भूमि
810	0.100	निजी भूमि
192	0.070	निजी भूमि
188	0.010	निजी भूमि
92/2	0.030	निजी भूमि
93/1	0.100	निजी भूमि
93/2	0.010	निजी भूमि
94	0.130	निजी भूमि
89/2	0.010	निजी भूमि
76	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
77	0.010	निजी भूमि
75	0.080	निजी भूमि
74	0.050	निजी भूमि
62	0.020	निजी भूमि
61	0.010	निजी भूमि
102	0.060	निजी भूमि
103	0.100	निजी भूमि
58/1	0.060	निजी भूमि
58/3	0.040	निजी भूमि
57	0.010	निजी भूमि
56	0.010	निजी भूमि
54	0.030	निजी भूमि
55	0.030	निजी भूमि
51	0.010	निजी भूमि
26	0.160	निजी भूमि
21	0.050	निजी भूमि
24	0.030	निजी भूमि
22	0.030	निजी भूमि
<b>कुल रकबा निजी भूमि</b>		<b>1.580</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है।

पन्ना, दिनांक 20 मार्च 2017

प्र. क्र. 068-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में

उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—रैपुरा
- (ग) ग्राम—इमलिया हल्का नं. 032
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—10.33 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
611/1	1.20	निजी भूमि
611/2/Kha	1.00	निजी भूमि
611/3	1.40	निजी भूमि
611/4	1.60	निजी भूमि
611/5	1.16	निजी भूमि
611/6	1.00	निजी भूमि
628/1	1.40	निजी भूमि
628/3	1.40	निजी भूमि
567	0.03	निजी भूमि
561	0.02	निजी भूमि
562	0.02	निजी भूमि
565	0.01	निजी भूमि
566	0.03	निजी भूमि
560	0.01	निजी भूमि
556	0.05	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 10.33

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत शेष बॉथ (छूटे हुये रकबे) निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है।

पन्ना, दिनांक 21 मार्च 2017

प्र. क्र. 093-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना		325	0.051	निजी भूमि
(ख) तहसील—पवई		328	0.016	निजी भूमि
(ग) ग्राम—उमरहट, प.ह.नं. 032		326	0.003	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.633 हेक्टेयर.		327/1	0.032	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	327/2	0.032
(1)	(2)	(3)	243	0.045
597	0.016	निजी भूमि	245	0.003
598/1	0.090	निजी भूमि	244	0.115
598/2	0.010	निजी भूमि	236	0.003
599/1/1	0.040	निजी भूमि	237	0.040
596	0.083	निजी भूमि	238	0.003
595	0.083	निजी भूमि	191	0.077
593	0.384	निजी भूमि	192	0.016
594	0.058	निजी भूमि	190	0.057
588	0.003	निजी भूमि	170	0.016
586	0.029	निजी भूमि	171	0.032
587	0.051	निजी भूमि	187	0.038
584	0.051	निजी भूमि	188	0.016
583	0.058	निजी भूमि	186	0.016
505	0.002	निजी भूमि	172	0.048
551	0.141	निजी भूमि	173	0.064
506	0.003	निजी भूमि	159	0.002
			156	0.003

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
157	0.083	निजी भूमि	502/2	0.020	निजी भूमि
155	0.070	निजी भूमि	499	0.016	निजी भूमि
149/1	0.077	निजी भूमि	491	0.001	निजी भूमि
148	0.013	निजी भूमि	492	0.036	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	<u>2.633</u>		490	0.090	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु।			489	0.010	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है।			486	0.030	निजी भूमि
प्र. क्र. 099-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—			487	0.060	निजी भूमि
अनुसूची			484	0.001	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			483	0.108	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			479	0.020	निजी भूमि
(ख) तहसील—पर्वई			480	0.090	निजी भूमि
(ग) ग्राम—सिंहासर, प.ह.नं. 033			410	0.028	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.367 हेक्टेयर।			411	0.041	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	भूमि का	408	0.020	निजी भूमि
	(हेक्टेयर में)	प्रकार	412/1	0.028	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	412/2	0.020	निजी भूमि
569	0.090	निजी भूमि	413	0.010	निजी भूमि
568	0.090	निजी भूमि	414	0.048	निजी भूमि
502/1	0.070	निजी भूमि	195	0.090	निजी भूमि
			196	0.120	निजी भूमि
			199/1	0.010	निजी भूमि
			200/1	0.035	निजी भूमि
			200/2	0.025	निजी भूमि
			200/3	0.018	निजी भूमि
			204	0.048	निजी भूमि
			202/1	0.006	निजी भूमि
			202/2	0.008	निजी भूमि
			202/3	0.002	निजी भूमि
			203	0.030	निजी भूमि
			206	0.016	निजी भूमि
			184/1	0.066	निजी भूमि
			182	0.010	निजी भूमि
			183	0.048	निजी भूमि
			211	0.016	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
178	0.016	निजी भूमि
179	0.016	निजी भूमि
233	0.016	निजी भूमि
163	0.042	निजी भूमि
161	0.030	निजी भूमि
248	0.020	निजी भूमि
249/1	0.060	निजी भूमि
249/2	0.012	निजी भूमि
250	0.048	निजी भूमि
251	0.009	निजी भूमि
253	0.010	निजी भूमि
254	0.060	निजी भूमि
276	0.030	निजी भूमि
275	0.078	निजी भूमि
274	0.036	निजी भूमि
273	0.020	निजी भूमि
272	0.060	निजी भूमि
289	0.020	निजी भूमि
292	0.042	निजी भूमि
291	0.042	निजी भूमि
293	0.020	निजी भूमि
294	0.072	निजी भूमि
298	0.042	निजी भूमि
299	0.072	निजी भूमि
302	0.016	निजी भूमि
303	0.003	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत मार्डिनर नहर निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 100-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में

कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
 (ख) तहसील—पवई  
 (ग) ग्राम—पड़िरियाकलां, प.ह.नं. 018  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.755 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकम (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
3101	0.060	निजी भूमि
3100	0.020	निजी भूमि
3104	0.020	निजी भूमि
3103	0.072	निजी भूमि
3112	0.072	निजी भूमि
3113	0.060	निजी भूमि
3114	0.016	निजी भूमि
3130	0.025	निजी भूमि
3131	0.060	निजी भूमि
3078	0.084	निजी भूमि
3077	0.044	निजी भूमि
3072	0.044	निजी भूमि
3073	0.060	निजी भूमि
3062	0.096	निजी भूमि
3060	0.320	निजी भूमि
3061	0.003	निजी भूमि
3016	0.064	निजी भूमि
3059	0.025	निजी भूमि
3025	0.020	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3024	0.041	निजी भूमि	2679	0.010	निजी भूमि
3023	0.041	निजी भूमि	2680	0.024	निजी भूमि
3022	0.084	निजी भूमि	2674	0.120	निजी भूमि
2866	0.010	निजी भूमि	2675	0.010	निजी भूमि
2865	0.010	निजी भूमि	2669	0.020	निजी भूमि
2851	0.060	निजी भूमि	2670	0.012	निजी भूमि
2852	0.480	निजी भूमि	2671	0.032	निजी भूमि
2861	0.010	निजी भूमि	2672	0.020	निजी भूमि
2857	0.138	निजी भूमि	2296	0.162	निजी भूमि
2858	0.010	निजी भूमि	2296/3246	0.120	निजी भूमि
2859	0.024	निजी भूमि	2200	0.060	निजी भूमि
2841	0.020	निजी भूमि	2141	0.002	निजी भूमि
2839	0.058	निजी भूमि	2146	0.020	निजी भूमि
2838	0.051	निजी भूमि	2148	0.060	निजी भूमि
2837	0.022	निजी भूमि	2180	0.032	निजी भूमि
2832	0.035	निजी भूमि	2149	0.030	निजी भूमि
2833	0.035	निजी भूमि	2179	0.060	निजी भूमि
2836	0.040	निजी भूमि	2177	0.010	निजी भूमि
2834	0.030	निजी भूमि	2165	0.010	निजी भूमि
2829	0.060	निजी भूमि	2176	0.060	निजी भूमि
2835	0.020	निजी भूमि	2175	0.036	निजी भूमि
2828/2	0.030	निजी भूमि	2187	0.030	निजी भूमि
2828/1	0.030	निजी भूमि	2173	0.030	निजी भूमि
2572	0.030	निजी भूमि	2188	0.030	निजी भूमि
2573	0.064	निजी भूमि	2190	0.048	निजी भूमि
2700	0.120	निजी भूमि	1914	0.020	निजी भूमि
2696	0.090	निजी भूमि	1915	0.020	निजी भूमि
2691	0.100	निजी भूमि	1916/2	0.016	निजी भूमि
2697	0.060	निजी भूमि	1917/1	0.020	निजी भूमि
2656	0.020	निजी भूमि	1917/2	0.010	निजी भूमि
2688	0.040	निजी भूमि	1918	0.030	निजी भूमि
2689	0.060	निजी भूमि	1919	0.030	निजी भूमि
2658	0.030	निजी भूमि	1920	0.010	निजी भूमि
2687	0.010	निजी भूमि	1922	0.020	निजी भूमि
2676	0.080	निजी भूमि	1923	0.010	निजी भूमि
2668	0.120	निजी भूमि	1925	0.020	निजी भूमि
2669	0.090	निजी भूमि	1926	0.030	निजी भूमि
2678	0.020	निजी भूमि	1927	0.018	निजी भूमि
			1928	0.016	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1885	0.020	निजी भूमि	461	0.010	निजी भूमि
1884	0.016	निजी भूमि	459	0.030	निजी भूमि
1879	0.030	निजी भूमि	462	0.051	निजी भूमि
1880	0.042	निजी भूमि	351	0.162	निजी भूमि
1875	0.016	निजी भूमि	350	0.010	निजी भूमि
1876	0.036	निजी भूमि	349	0.156	निजी भूमि
1877	0.016	निजी भूमि	473	0.060	निजी भूमि
1878	0.020	निजी भूमि	474	0.020	निजी भूमि
1843	0.020	निजी भूमि	475	0.048	निजी भूमि
1844	0.060	निजी भूमि	485/1	0.032	निजी भूमि
1845	0.036	निजी भूमि	709	0.108	निजी भूमि
1847	0.120	निजी भूमि	710	0.020	निजी भूमि
1848	0.030	निजी भूमि	693	0.204	निजी भूमि
1819	0.036	निजी भूमि	692	0.020	निजी भूमि
1820	0.010	निजी भूमि	691	0.010	निजी भूमि
1821	0.036	निजी भूमि	678	0.090	निजी भूमि
1822	0.036	निजी भूमि	690	0.010	निजी भूमि
1823	0.060	निजी भूमि	680	0.078	निजी भूमि
1824	0.018	निजी भूमि	681	0.010	निजी भूमि
1815/1	0.010	निजी भूमि	682	0.042	निजी भूमि
1815/2	0.010	निजी भूमि	683	0.042	निजी भूमि
1814	0.060	निजी भूमि	684	0.010	निजी भूमि
416	0.048	निजी भूमि	685	0.010	निजी भूमि
266	0.120	निजी भूमि	687	0.010	निजी भूमि
415	0.072	निजी भूमि	674	0.072	निजी भूमि
411	0.020	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि	7.755	
412	0.060	निजी भूमि			
398	0.090	निजी भूमि			
399	0.060	निजी भूमि			
395	0.010	निजी भूमि			
396	0.090	निजी भूमि			
397	0.020	निजी भूमि			
394	0.010	निजी भूमि			
393	0.020	निजी भूमि			
389	0.030	निजी भूमि			
392	0.150	निजी भूमि			
391	0.012	निजी भूमि			
357	0.134	निजी भूमि			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 101-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा

इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पवई
- (ग) ग्राम—नारायणपुरा, प.ह.नं. 017
- (घ) क्षेत्रफल—5.690 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2517/1	0.038	निजी भूमि	1209			1211			1214			1227/1क		
2517/2	0.040	निजी भूमि	1189			1219/2/क			1219/1			1220		
2518/1	0.032	निजी भूमि	1190			1231			1234			1238/1		
2518/2	0.040	निजी भूमि	1192			1236			1237			1238/2		
2519	0.072	निजी भूमि	1183			1238/2			1238/2			1222		
2219	0.020	निजी भूमि	1184			1222			1227/1क			1219/1		
2221	0.048	निजी भूमि	1185			1217			1217			1210		
2222	0.030	निजी भूमि	1186			1210			1210			1210		
2223	0.084	निजी भूमि	1132			1211			1214			1214		
2224	0.030	निजी भूमि	1133			1213			1209			1209		
2229	0.042	निजी भूमि	1134			1214			1189			1189		
2230	0.048	निजी भूमि	1146			1213			1190			1190		
2231/1	0.030	निजी भूमि	1147			1219/2/क			1192			1192		
2232	0.030	निजी भूमि	1148			1219/1			1183			1183		
2233	0.016	निजी भूमि	1149			1227/1क			1184			1184		
2235	0.036	निजी भूमि	1150/1			1220			1185			1185		
2236	0.016	निजी भूमि	1150/2			1222			1186			1186		
2238	0.084	निजी भूमि	1151/1			1227			1132			1132		
2240	0.030	निजी भूमि	1151/2			1227			1133			1133		
2441/1	0.042	निजी भूमि	1152			1227			1134			1134		
2441/2	0.120	निजी भूमि	849			1227			1146			1146		
2239	0.020	निजी भूमि	852			1227			1147			1147		

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
853	0.042	निजी भूमि	525	0.045	निजी भूमि
854	0.035	निजी भूमि	531	0.020	निजी भूमि
855	0.032	निजी भूमि	493	0.016	निजी भूमि
857	0.040	निजी भूमि	492	0.041	निजी भूमि
858	0.096	निजी भूमि	491	0.020	निजी भूमि
859	0.090	निजी भूमि	425/1	0.038	निजी भूमि
860	0.020	निजी भूमि	425/2	0.010	निजी भूमि
861	0.044	निजी भूमि	532	0.054	निजी भूमि
862	0.036	निजी भूमि	538	0.042	निजी भूमि
863	0.040	निजी भूमि	537	0.019	निजी भूमि
867	0.040	निजी भूमि	541	0.042	निजी भूमि
868	0.030	निजी भूमि	543	0.030	निजी भूमि
872	0.030	निजी भूमि	544	0.030	निजी भूमि
873	0.040	निजी भूमि	542	0.020	निजी भूमि
907	0.054	निजी भूमि	545/1	0.150	निजी भूमि
906	0.042	निजी भूमि	553/2	0.042	निजी भूमि
905	0.042	निजी भूमि	554	0.114	निजी भूमि
902	0.060	निजी भूमि	565/1	0.020	निजी भूमि
903	0.028	निजी भूमि	565/2	0.080	निजी भूमि
904	0.020	निजी भूमि	557/2 d	0.038	निजी भूमि
901	0.084	निजी भूमि	557/2 K	0.060	निजी भूमि
930	0.020	निजी भूमि	558/2	0.108	निजी भूमि
899	0.060	निजी भूमि	241/3	0.096	निजी भूमि
897	0.054	निजी भूमि	240	0.090	निजी भूमि
896	0.020	निजी भूमि	239	0.040	निजी भूमि
607	0.020	निजी भूमि	237	0.066	निजी भूमि
608	0.032	निजी भूमि	1059/1क	0.200	निजी भूमि
609	0.066	निजी भूमि	1059/1ख	0.020	निजी भूमि
595	0.048	निजी भूमि	1059/2	0.020	निजी भूमि
596	0.048	निजी भूमि	1058	0.030	निजी भूमि
592	0.038	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि ..		<u>5.690</u>
593	0.016	निजी भूमि			
594	0.019	निजी भूमि			
514	0.020	निजी भूमि			
528	0.066	निजी भूमि			
526	0.048	निजी भूमि			
527	0.020	निजी भूमि			
524	0.022	निजी भूमि			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, एवं समुचित  
सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित  
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013**

(क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत)

खरगोन, दिनांक 14 मार्च 2017

क्र. 112-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

**अनुसूची (1)**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—सनावद
- (ग) ग्राम—बेडिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.680 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रक्कड़ा (हे. में)
(1)	(2)
579/1	0.364
638/1	0.072
638/2	0.172
638/4	0.072
कुल योग.	0.680

**अनुसूची (2)**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु।

**अनुसूची (3)**

**भू-अर्जन अधिनियम की धारा-19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा-19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार**

1. **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प:**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारीगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वासन अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसकी वर्गीकरण इस प्रकार है:—

- (अ) एक मुश्त नौकरी के एकज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़।
- (ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़।
- (स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़।
- (द) प्रभावितों पर अश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक-पृथक 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा।

2. **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं:**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये लिये दिया जाना प्रावधानित।

3. **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग:**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/ रोड़ अवरुद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4. **शेष बची भूमि का अधिग्रहण:**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टेयर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5. **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति:**—सिंचाई के लिए पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6. **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान:**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य

क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

**7. विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि)।—(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।**

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जायेगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

**8. प्रशिक्षण:**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाएँ आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों के मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर ड्राईविंग, पैटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जायेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जायेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आईटीआई में प्रशिक्षण प्रायोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

**9. भूमि विकास राशि:**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

**10. छात्रवृत्ति:**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त की जावेगी। अनुकूलीण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

**11. स्वास्थ्य सेवाएँ:**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत)

क्र. 113-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—भगोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.085 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
32/14	0.020
32/2	0.024
32/15	0.041
कुल योग.	0.085

### अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरांगन बृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु।

### अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा-19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा-19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1. वार्षिकी या नियोजन का विकल्प:—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा। जिसकी वर्गीकरण इस प्रकार है:—

- (अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़।
- (ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़।
- (स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़।
- (द) प्रभावितों पर अश्रित निःशक्तजन, विधवा, परिस्त्यकता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़।

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक-पृथक 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी। सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा।

2. ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें:—कार्ययोजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये लिये दिया जाना प्रावधानित।

3. खेतों में आवागमन हेतु मार्ग:—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/ रोड़ अवरुद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रेल्वे पथ के दोनों और खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है।

4. शेष बची भूमि का अधिग्रहण:—कृषक की 75 प्रतिशत/ प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा।

5. सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति:—सिंचाई के लिए पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी।

6. संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान:—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित।

7. विशेष पुनर्वास अनुदान (देश प्रतिकर के अतिरिक्त राशि):—(अ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार।

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जायेगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी।

8. प्रशिक्षण:—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाएं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

(ब) प्रभावित व्यक्तियों के मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर ड्राइविंग, पैटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जायेगा।

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जायेगा।

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आईटीआई में प्रशिक्षण प्रायोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा।

9. भूमि विकास राशि:—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी।

10. छात्रवृत्ति:—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

11. स्वास्थ्य सेवाएँ:—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 15 मार्च 2017

क्र. 152-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—कोरिगवां
- (घ) क्षेत्रफल—0.140 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)
(1)	(2)
72/1/क	0.036
72/1/ख	0.036
22/2	0.068
निजी खाता भूमि योग रकवा . .	0.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक-1 रीवा (म. प्र.) के अन्तर्गत सिजहटा-हिनौती-मलगांव-खम्हरिया-अबेर मार्ग निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

सतना, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. 162-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—रजरवार
- (घ) क्षेत्रफल—4.305 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)
(1)	(2)
359	0.420
199/1	0.056
184/2	0.240
182	0.014
183	0.060
177/1	0.078
176	0.077
175	0.086
170/1	0.056
178	0.064
170/2	0.100
643/1/1	0.041
643/1/2	0.041
638/1/1/1	0.060
638/2क	0.360
637	0.048
651/1	0.042
651/2	0.042
652	0.692
662	0.032
661	0.062
658	0.029
654	0.029
653	0.038
619	0.050
620	0.066
621	0.090
169/1/1	0.078

(1)	(2)
169/1/2	0.078
169/1/3	0.078
169/1/4	0.078
169/1/5	0.078
649	0.060
650/1	0.032
650/2	0.032
660	0.008
642/1	0.018
642/2	0.018
642/3	0.018
624	0.036
606/895	0.540
611/4	0.063
611/5	0.045
611/6/1	0.036
611/6/2	0.036
निजी खाता भूमि योग रकबा ..	<u>4.305</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक-1 रीवा (म. प्र.) के अन्तर्गत सिजहटा-हिनौती-मलगांव-खम्हरिया-अबेर मार्ग निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

सतना, दिनांक 28 मार्च 2017

क्र. 164-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—घुंघुचिहाई
- (घ) क्षेत्रफल—0.097 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जित रकबा
(1)	(2)
475	<u>0.097</u>
निजी खाता भूमि योग रकबा ..	<u>0.097</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना (म. प्र.) के अन्तर्गत रामस्थान आदिवासी बस्ती से बारी का बगीचा मार्ग निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 165-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—अबेर
- (घ) क्षेत्रफल—0.311 हेक्टेयर।

खसरा नं.	अर्जित रकबा
(1)	(2)
324/2	0.121
357/3	<u>0.190</u>
निजी खाता भूमि योग रकबा ..	<u>0.311</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना (म. प्र.) के अन्तर्गत रजरवार नई बस्ती पहुंच मार्ग निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 166-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—रामस्थान  
(घ) क्षेत्रफल—0.137 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. मे.)
(1)	(2)
276/3	0.016
278/3*	0.121
निजी खाता भूमि योग रकवा ..	0.137

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना (म. प्र.) के अन्तर्गत रामस्थान आदिवासी बस्ती से बारी का बगीचा मार्ग निर्माण हेतु।  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

सतना, दिनांक 3 अप्रैल 2017

क्र. 174-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, भू-अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निम्न भूमि का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 2016 को किया गया है। विभाग द्वारा वर्णित प्रयोजन हेतु अभिविन्यास अनुरूप अर्जित किये जाने वाले भूखण्डों के क्षेत्रफल की सटीक गणना तथा परियोजना स्थल पर भौतिक सत्यापन कर विहित समयावधि में प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से धारा 19 के तहत प्रकाशन विहित समयावधि में नहीं हो सका। चूंकि तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में विभाग द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक था। अतः प्रचलित कार्यवाही न्यायोचित होने से भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक सन् 2013) की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—नागौद  
(ग) नगर/ग्राम—नौनिया  
(घ) क्षेत्रफल—1.629 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. मे.)
(1)	(2)
175/1/क	0.041
175/1/ख	0.066
175/2	0.054

(1)	(2)
139/1	0.148
139/3	0.153
142/2	0.011
174/2	0.020
169/1/क	0.209
169/3	0.071
169/4	0.081
167/2	0.632
169/2	0.100
138/3	0.022
176/2	0.021
कुल अर्जित रकवा ..	1.629

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु।  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय किसी भी शासकीय कार्य दिवस (लोक अवकाश के दिनों से भिन्न) में किया जा सकता है।

क्र. 175-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, भू-अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निम्न भूमि का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 जनवरी 2016 को किया गया है। विभाग द्वारा वर्णित प्रयोजन हेतु अभिविन्यास अनुरूप अर्जित किये जाने वाले भूखण्डों के क्षेत्रफल की सटीक गणना तथा परियोजना स्थल पर भौतिक सत्यापन कर विहित समयावधि में प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से धारा 19 के तहत प्रकाशन विहित समयावधि में नहीं हो सका। चूंकि तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में विभाग द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक था। अतः प्रचलित कार्यवाही न्यायोचित होने से भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक सन् 2013) की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)  
(क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—नागौद

- (ग) नगर/ग्राम—भाद  
 (घ) क्षेत्रफल—1.694 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)
(1)	(2)
85	0.005
84	0.005
86/1	0.060
87	0.004
75/1	0.094
75/2	0.084
76	0.192
77	0.070
78	0.131
79	0.068
80	0.183
12/1	0.042
134/2	0.188
133/2	0.006
136/1/क	0.214
136/1/ख	0.261
135/1/क	0.022
135/1/ख	0.021
74/2	0.041
83/1	0.003
कुल अर्जित रकवा	1.694

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर—सतना—रीवा—सिंगरौली—महोबा—खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. . . .—भू-अर्जन-2017.—चूंकि, भू-अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत ललितपुर—सतना—रीवा—सिंगरौली—महोबा—खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निम्न भूमि का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 जनवरी 2016 को किया गया है। विभाग द्वारा वर्णित प्रयोजन हेतु अभिविन्यास अनुरूप अर्जित किये जाने वाले भूखण्डों

के क्षेत्रफल की सटीक गणना तथा परियोजना स्थल पर भौतिक सत्यापन कर विहित समयावधि में प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से धारा 19 के तहत प्रकाशन विहित समयावधि में नहीं हो सका। चूंकि तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में विभाग द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक था। अतः प्रचलित कार्यवाही न्यायोचित होने से भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक सन् 2013) की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है। निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
 (ख) तहसील—नागौद  
 (ग) नगर/ग्राम—अतरौराकला  
 (घ) क्षेत्रफल—1.926 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)
(1)	(2)
137/1/क	0.112
137/1/ख	0.175
138/1	0.012
138/2	0.003
128	0.196
127/1/क	0.004
144	0.454
149/1	0.029
149/2/क	0.088
149/2/ख	0.112
150/1	0.002
156/1	0.135
156/2	0.146
156/3	0.135
156/4	0.135
179/1	0.188
कुल अर्जित रकवा	1.926

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर—सतना—रीवा—सिंगरौली—महोबा—खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	(1) 717	(2) 0.899
क्र. 177-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, भू-अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निम्न भूमि का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च 2016 को किया गया है। विभाग द्वारा वर्णित प्रयोजन हेतु अभिविन्यास अनुरूप अर्जित किये जाने वाले भूखण्डों के क्षेत्रफल की सटीक गणना तथा परियोजना स्थल पर भौतिक सत्यापन कर विहित समयावधि में प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से धारा 19 के तहत प्रकाशन विहित समयावधि में नहीं हो सका। चूंकि तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में विभाग द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक था। अतः प्रचलित कार्यवाही न्यायोचित होने से भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक सन् 2013) की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—	718 724/1ख/1/क 724/1ख/1/ख 724/1ख/1/ग 725/1 725/2 725/3 730 716/1क 716/1ख 734/2 734/1	0.246 0.200 0.195 0.195 0.150 0.145 0.134 0.596 0.500 0.127 0.334 0.200

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)	(2)	(3)
(क) जिला—सतना		740
(ख) तहसील—नागौद		739
(ग) नगर/ग्राम—बम्हौर		738/1/2
(घ) क्षेत्रफल—10.311 हेक्टेयर.		745/1ख/2
खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)	
(1)	(2)	745/1ख/3
15	0.089	0.025
17	0.031	745/1/1/घ
13/1/2	1.350	745/1/1/च
10/2	0.209	745/1/1/छ
9/2	0.209	745/1/1/ज
14	0.002	745/1/1/झ
715	0.773	745/1/1/
713	0.460	745/1/1/ट
655/1/2	0.096	745/1/1/ठ
		0.100
		0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
745/1/1/ड	0.125	745/1/1/3	0.010
745/1/1/ढ	0.060	745/2/1	0.010
746/1/1/ख	0.024	746/2	0.005
745/2/2	0.022	कुल अर्जित रकमा	10.311
745/2/3	0.023	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगराली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.	
745/2/4	0.023	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।	
745/2/5	0.022	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,	
745/2/6	0.022		
745/2/7	0.022		
745/2/8	0.023		
745/2/9	0.022	कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर, परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	
745/2/10	0.022		
745/2/11	0.022		
745/2/12	0.022		
745/2/13	0.023		
745/2/14	0.022		
745/2/15	0.022		
745/2/16	0.023		
745/2/17	0.022		
747/1/ख	0.350		
745/5	0.031		
747/4	0.063	(1) भूमि का वर्णन—	
747/2	0.168	(क) जिला—सीधी	
747/1क/1क	0.256	(ख) तहसील—रामपुर नैकिन	
747/1क/1ख	0.028	(ग) ग्राम—पटना	
747/1क/1ग	0.028	(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.937 हेक्टेयर.	
747/1क/1घ	0.028	खसरा नं.	अर्जित रकमा
747/1क/2	0.125	(1)	(2)
745/1/1/4	0.125	4	0.266
		5	0.130

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—पटना
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—4.937 हेक्टेयर.

खसरा नं.  
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
4	0.266
5	0.130

(1)	(2)
6	0.054
7	0.052
8	0.080
9	0.060
10/1, 10/2	0.060
11	0.020
12	0.020
13	0.020
14	0.240
15	0.080
16	0.200
20	0.540
21	0.080
22/1, 22/2, 22/3	0.300
23	0.040
25	0.380
26	0.140
27	0.100
28	0.270
29	0.220
103	0.250
108	0.030
109	0.180
110	0.080
111	0.040
112	0.100
114/1, 114/2	0.020
115	0.015
116	0.020
117	0.170
118	0.140
119	0.080
120	0.080
121	0.020
122	0.030
123	0.030
124	0.300
महायोग . .	<u>4.937</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 592-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गम्पुर नैकिन
- (ग) ग्राम—करियाझर
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—4.920 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
1	0.160
3	0.630
4	1.040
5	2.550
8	0.060
16	0.050
17	0.100
21	0.200
22/1, 22/2	0.090
25	0.040
महायोग . .	<u>4.920</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 594-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—मझिगाँव
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—2.090 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.840
2	0.150
73	0.090
74	0.040
75	0.700
76	0.180
77	0.040
78	0.040
79	0.010
महायोग . .	<u>2.090</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 596-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—सरदा
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—7.840 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
1	0.580
2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/2	0.620
3	0.900
4	0.300
10	0.290
11	0.080
12	0.040
340	0.070
341	0.800
342	0.400
343	0.340
344	0.130
345	0.020
346	0.100
357	0.020
358	0.830
359	0.300
360	0.090
361/1, 361/2	0.880
362/1, 362/2	0.020
363	0.020
364/2	1.010
महायोग . .	<u>7.840</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

**उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर**

Jabalpur, the 30th March 2017

No. 549-Confdl.-2017-II-2-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Foundation Course (First Phase) for the District Judges (Entry Level) directly appointed from the Bar from 10th April 2017 to 22nd April 2017 in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid course.

### Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 10th April 2017 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. The participants shall appear for the course in prescribed uniform (i. e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie.) during entire duration of the course.
4. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by mail at [mpsja@mphc.in](mailto:mpsja@mphc.in) or by fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance.
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed on mobile number 09424958820 to **Shri K. L. Chourasia**. In case Shri Chourasia cannot be contacted the participants may contact **Shri Pramod Kumar Chaturvedi**, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Pramod Kushwaha**, A. G. III on Mobile No. 09713717147 or on office telephone No. 0761-2628679 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their

bags to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Course and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Course.
9. Participants shall bring proper sportswear and sports shoes, if they intend to utilize the facility of gymnasium.
10. The Reference material is available on the official website of the Academy i. e. [www.mpsja.mphc.gov.in](http://www.mpsja.mphc.gov.in) at the link [mpsja.mphc.gov.in/knowledge\\_gateway](http://www.mpsja.mphc.gov.in/knowledge_gateway). No hard copy shall be provided to the participants. The participants are requested to go through relevant study material link.
11. The Schedule of the Foundation Course will be uploaded on the website of the Academy three days before the commencement of the Course. The participants are requested to go through the schedule and prepare themselves accordingly.
12. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Course, free of charge, as per the rules of the Academy.

By order of Hon'ble the Chief Justice,  
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

क्र. E-2216-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 25 फरवरी से 01 मार्च 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के  
आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. E-2605-दो-2-58-2007.—श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2607-दो-2-52-2016.—श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 02 से 03 मार्च 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2609-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 15 से 17 मार्च 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 14 मार्च 2017 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 19 मार्च 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2611-दो-2-45-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को राजगढ़ (ब्यावरा) पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2613-दो-2-59-2013.—श्री एन. के.सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 6 से दिनांक 10 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के.सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2615-दो-2-56-2010.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2636-दो-2-49-2013.—श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. (निरीक्षण), ग्वालियर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 06 से 08 मार्च 2017 तक तीन दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 06 से 21 मार्च 2017 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. (निरीक्षण), ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च, 2017

क्र. 484-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017-(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 95, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7 मई 99, क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.-1-2-90-इक्कीस-ब(एक) 1511/2016, दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री रमा शंकर शर्मा	इंदौर	दमोह	दमोह	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री भाऊराव पाटिल के स्थान पर.	दमोह

**टिप्पणी।—1.** आदेश क्रमांक 424/गोपनीय-2017, दिनांक 08 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती सविता दुबे, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल का, भोपाल से दमोह, स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर एक वर्ष तक कार्य करती रहेंगी. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अवधि में विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, भोपाल के पद पर पदस्थापना हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करेंगी।

**क्र. 485-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी)।—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टेस एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तंभ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तंभ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।**

दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती वर्षा शर्मा	बासोदा	इंदौर	इंदौर	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्रीमती बंदना जैन	विदिशा	इटारसी	होशंगाबाद	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
3.	कुमारी सुमन श्रीवास्तव	बैतूल	खुरई	सागर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार अग्रवाल के स्थान पर।
4.	श्री शिवकांत पाण्डे	सतना	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी सरिता वाधवानी के स्थान पर।
5.	श्रीमती आशिता श्रीवास्तव	टीकमगढ़	इंदौर	इंदौर	सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि उनकी इंदौर में पदस्थापना 01 वर्ष की अवधि के लिये की गई है, उक्त अवधि पश्चात् उनके स्थानांतरण पर पुनः विचार किया जावेगा।

### टिप्पणी:—

- आदेश क्रमांक 439-गोपनीय-2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्री कैलाश चन्द्र यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुसनेर, जिला शाजापुर का, सुसनेर से सागर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करते रहेंगे।
- आदेश क्रमांक 439-गोपनीय-2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बासोदा जिला विदिशा का, बासोदा से मुरैना स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

3. आदेश क्रमांक 439-गोपनीय-2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती वंदना जैन, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा का, विदिशा से नरसिंहपुर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
4. आदेश क्रमांक 439-गोपनीय-2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध कुमारी सुमन श्रीवास्तव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल का, बैतूल से शहडोल स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
5. आदेश क्रमांक 439-गोपनीय-2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्री शिवकांत पाण्डेय, सप्तम अपर जिला एवं अस्त्र न्यायाधीश, सतना का, सतना से इटारसी जिला होशंगाबाद स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
6. आदेश क्रमांक 439-गोपनीय-2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ से बासोदा जिला विदिशा स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

**क्र. 487-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-ए).**—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री साबिर अहमद खान	मुरैना	रतलाम	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आलोक कुमार सक्सेना के स्थान पर।

**क्र. 488-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-ए).**—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अभिषेक गोयल	सेवढ़ा	हनुमना	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-हनुमना, जिला रीवा की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।

### टिप्पणी:—

1. आदेश क्रमांक 458-गोपनीय-2017, दिनांक 10 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्री सुशील कुमार, पन्द्रवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर का, इंदौर से रतलाम, स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करते रहेंगे।

2. आदेश क्रमांक 467-गोपनीय-2017, दिनांक 11 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्री राजेश जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सेवढ़ा, जिला दतिया का, सेवढ़ा (दतिया) से हनुमना (रीवा), स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करते रहेंगे. उक्त आदेश के तारतम्य में, श्री लवकेश सिंह को "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सेवढ़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से." पदस्थि किया जाता है.

क्र. 489-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थि करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सुश्री रोहिणी तिवारी	लौंडी	जबलपुर	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव के स्थान पर.

टिप्पणी:—सुश्री रोहिणी तिवारी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, लौंडी जिला छतरपुर का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 493-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अध्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3/2015-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मार्च 2017, 06 मार्च 2017 एवं 07 मार्च 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीबोक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थि करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अनुराग सिंह सुमन (मेरिट क्रमांक 54)	हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, हरदा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2.	सुश्री निधि शाक्यवार (मेरिट क्रमांक 60)	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3.	श्री संजीव पिपलादिया (मेरिट क्रमांक 63)	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नरसिंहपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4.	सुश्री गरिमा सिंह (मेरिट क्रमांक 65)	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज.).
5.	श्री अरूण सिंह अलावा (मेरिट क्रमांक 82)	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रायसेन के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज.).

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2017

क्र. 497-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से श्रीरामजी गुप्ता के स्थान पर.
2	श्री दिलीप गुप्ता, आष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.	षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, के स्थान पर.

क्र. 500-गोपनीय-2017-II-2-33/57(Pt.-12).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-मार्च 2002, 14 जनवरी 2005, 04 नवम्बर 2009, 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1/2002-इक्कीस-ब(एक)/1165, दिनांक 16 मार्च, 2017 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री देवराज बोहरे, नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर	टीमकगढ़	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
2	श्री सभापति यादव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर	सिंगरौली	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री सभापति यादव, वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, सीधी की समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 15 दिनों के लिए कुटुम्ब न्यायालय, सीधी में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
3	डॉ. ओम प्रकाश तिवारी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.	राजगढ़	सिवनी	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2017

क्र. 506-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 508-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दशथे अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सारणी		न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
		(1)	(2)	
1	श्री धर्मेश भट्ट,			तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिवनी की हैसियत से.
	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी.			
2	श्री आशिर्वाद भिलाला,			द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उज्जैन की हैसियत से.
	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उज्जैन.			

जबलपुर, दिनांक 24 मार्च, 2017

क्र. 519-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी	
					(1)	(2)
1.	श्रीमती निशा गुप्ता	इंदौर	मंदसौर	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मसूद अरशद खान के स्थान पर.	
2.	श्री रूपेश कुमार गुप्ता	इंदौर	मंदसौर	मंदसौर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	

#### टिप्पणी:—

- (1) आदेश क्रमांक 458-गोपनीय-2017, दिनांक 10 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती बंदना राज पाण्डेय, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अंजड़ जिला बड़वानी का, अंजड़ जिला बड़वानी से मंदसौर, स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करती रहेंगी.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2017

क्र. 523-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी	
					(1)	(2)
1.	श्री अशोक भारद्वाज	भोपाल	सोनकच्छ	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	

## टिप्पणी:—

- (1) आदेश क्रमांक 460-गोपनीय-2017, दिनांक 10 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्री अशोक भारद्वाज, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 भोपाल के न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल का, भोपाल से खातेगांव जिला देवास, स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2017

क्र. 537-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री वीरेन्द्र जोशी	मंदसौर	नौगांव	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

## टिप्पणी:—

- (1) आदेश क्रमांक 467-गोपनीय-2017, दिनांक 11 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्री वीरेन्द्र जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मंदसौर का, मंदसौर से लौंडी जिला छतरपुर, स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. 540-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3(ए) 4057-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 8 फरवरी 2017 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में दर्शये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री योगराज उपाध्याय (मेरिट क्रमांक 09)	रीवा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।

क्र. 542-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अध्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3/2015-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 6 जनवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजय सिंह धाकड़ (मेरिट क्रमांक 31)	दमोह	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रैनी जज).

क्र. 544-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, (द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से
2	श्री राकेश कुमार (गुप्ता), तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से.
3	श्रीमती प्रिया शर्मा, (द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र. 552-गोपनीय-2017-दो-2-25-93 (भाग-4).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके स्तम्भ क्रमांक (4) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

### सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जशरथ राज बच्चन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-2, जबलपुर.	जबलपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय की तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

क्र. E-2231-दो-2-60-2014.—श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 13 से 16 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2017

क्र. E-1794-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 27 मार्च 2017 तक नौ दिन का अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही, मण्डलोई, बजट ऑफिसर/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही, मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट ऑफिसर/एडीशनल रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2017

क्र. B-1883-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 27 जनवरी से 10 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी के एवं पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2392-दो-2-6-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 1 से 2 फरवरी 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 3 से 10 फरवरी 2017 तक आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-2394-दो-2-34-2013.—श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 2 से 4 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. E-2396-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 14 फरवरी 2017 का एक दिन का स्वीकृत आक्रिमिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 14 से 15 फरवरी 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2017

क्र. E-2399-दो-3-25-2009.—स्वर्गीय श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 13 से 25 फरवरी 2017 तक तेरह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 26 फरवरी से 10 मार्च 2017 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

क्र. सी-1329-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतदद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीश अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे।

No. C-1329-III-6-4-72.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judge named in the column no. 3 of the following table shall also hold sitting at place mentioned in the column no. 2 of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column no. 4 for holding Link Court.

S. No.	Places, where Link Court is to be held	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Gairatganj (District Raisen).	Shri Ram Manohar Singh Dangi, C.J. II, Begumganj.	15 days in a month.

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2017

क्र. A-521-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतदद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे। यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है।

No. A-521-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column no. 3 of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column no. 2 of the table in addition to his place of sitting for the period

mentioned in the column no. 4 for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the table.

#### ADJ Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kurwai (Vidisha)	Shri Alok Mishra, II ADJ, Vidisha.	1 week
2.	Rajendra-gram (Anooppur)	Shri Sharad Bhamkar, ADJ, Kotma	1 week in a month.
3.	Narayangarh (Mandsaur).	Shri Arvind Raghuwanshi, III ADJ, Mandsaur.	10 days in a month.
4.	Bhikangaon (Mandleshwar).	Shri Subhash Solanki, IV ADJ, Khargone.	15 days in a month.
5.	Chanderi (Ashok-nagar).	Shri Ganga-charan Sharma II ADJ, Ashok-nagar.	15 days in a month.

क्र. A-523-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतदद्वारा निर्देशित करता है कि श्री आरिफ खान पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा, जिनको अपने घोषित कार्यस्थल, खण्डवा के अतिरिक्त प्रत्येक माह में दो सप्ताह हेतु पुनासा में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपने घोषित कार्यस्थल, खण्डवा में ही बैठक करेंगे।

खण्डवा-पुनासा श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतदद्वारा समाप्त की जाती है।

No. A-523-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Arif Khan Patel, Additional Judge to the Court of the first Civil Judge Class 2, Khandwa, who was directed to hold sitting at Punasa in addition to his place of posting, Khandwa for

the period of two weeks, will now hold sitting at his place of posting, Khandwa only.

The sitting of Khandawa-Punasa Link Court is hereby discontinued.

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2017

क्र. A-531-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायिक अधिकारी अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे। यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी, जिनको अपने घोषित कार्यस्थल, सतना के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 7 दिवस की अवधि के लिए रामपुर नैकिन में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपने घोषित कार्यस्थल, सीधी में ही बैठक करेंगे। सतना-अमरपाटन श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है।

No. A-531-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Satish Chandra Rai, the Second Additional District Judge, Satna, who was directed to hold sitting at Amarpatan in addition to his place of posting, Satna for the period of 15 days in a month, will now hold sitting at his place of posting, Satna only. The sitting of Satna-Amarpatan Link Court is hereby discontinued.

In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Rajendra Kumar Ahirwar, Additional Judge to the Court of the First Civil Judge Class 2, Sidhi, who was directed to hold sitting at Rampur Naikin in addition to his place of posting, Sidhi for the period of 7 days in a month, will now hold sitting at his place of posting, Sidhi only. The sitting of Sidhi-Rampur Naikin Link Court is hereby discontinued.

क्र. A-533-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायिक अधिकारी अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे। यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है।

No. A-533-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officer named in the column no. 3 of the following table shall also hold sitting at place mentioned in the column no. 2 of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column no. 4 for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the table.

#### ADJ Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Amarpatan (Satna)	Shri Shachindra Shrivastava, II	1 week in a month.
		ADJ, Maihar.	

क्र. C-1386-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, मउगंज जिला रीवा, जिनको अपने घोषित कार्यस्थल, मउगंज के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिए त्योंथर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपने घोषित कार्यस्थल, मउगंज में ही बैठक करेंगे।

मउगंज-त्योंथर श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है।

No. C-1386-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the First Additional District Judge, Mauganj District Rewa, who was directed to hold sitting at Treonthar in addition to his place of posting, Mauganj for the period of 15 days in a month, will now hold sitting at his place of posting, Mauganj only.

The sitting of Mauganj-Treonthar Link Court is hereby discontinued.

By order of the High Court,  
VIVEK SAXENA, OSD (DE).

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. 530-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री संजय कृष्ण जोशी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़नगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बड़नगर जिला उज्जैन.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़नगर जिला उज्जैन की हैसियत से श्री सुधीर सिंह चौहान के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
मोहम्मद फहीम अनवर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.